न्यायालय :– सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर, जिला बाड़मेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	अजिताभ आचार्य, आर.जे.एस. जिला न्यायाधीश संवर्ग
प्रकरण संख्या	:	27/2025 सेशन प्रकरण (CIS No. 03/2019)

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, बाडमेर।

—— अभियोगी

बनाम

मोतीचन्द पुत्र बाबुलाल, उम्र 20 साल, निवासी छीतर का पार, पुलिस थाना नागाणा, बाड़मेर

—— अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा – 323, 324, 326 व 307 भा.दं.सं.

उपस्थित :–

राज्य की ओर से	:	श्री दामोदर कुमार चौधरी, लोक अभियोजक
अभियुक्त की ओर से	:	श्री कन्हैयालाल जैन, अधिवक्ता

–:: निर्णय ::– **दिनांक : 20.04.2026**

1. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, जिला बाड़मेर की ओर से यह आरोप पत्र सर्वप्रथम अभियुक्त मोतीचंद के विरुद्ध धारा 323, 324, 326, 307 भा.दं.सं. के तहत दिनांक 28.08.2018 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से प्रकरण विधि अनुसार निस्तारण करने हेतु दिनांक 12.10.2018 को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 1, बाड़मेर के न्यायालय में उपार्पित किया गया। तत्पश्चात् इस न्यायालय के आदेश क्रमांक 55 दिनांक 28.08.2025 की पालना में उक्त प्रकरण दिनांक 04.09.2025 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह हैं कि दिनांक 11.06.2018 को

परिवादी हरखाराम पुत्र राणाराम ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी एक दुकान वृद्धिचंद जैन केन्द्रीय बस स्टेशन बाड़मेर के अंदर दुकान नंबर 04 आयी हुई है, उसकी दुकान पर सहयोग के लिए हेमराज पुत्र बाबुराम, निवासी खड़ीन वालों को रखा हुआ है, जो दुकान का छोटा–मोटा काम करके दुकान के बाहर ही सोता है। वह उसकी दुकान रात्रि के लगभग 11:30 बजे तक बंद करता है। कल रात्रि के 11:00 बजे वह उसकी दुकान पर बैठा था, तब मोतीचंद देशान्तरी जो टैक्सी चलाता है, अपनी टैक्सी नंबर आरजे 04 पीए 4727 लेकर उसकी उक्त दुकान पर आया और उसकी दुकान के सहयोगी हेमराज से उधार सामान मांगा, तब हेमराज ने मोतीचंद को उधार सामान देने से मना किया, तब मोतीचंद ने हेमराज को धमकी देकर गया कि ''मैं तेरे को देख लुंगा''। हेमराज व मोतीचंद के आपस में बहस हुई, तब उसकी दुकान पर वह व देवाराम पुत्र तेजाराम, निवासी खुडाला वाला भी मौजूद था, तब मोतीचंद को वहां से उन्होंने जैसे–तैसे समझाकर भेजा और वह रात्रि को साढ़े ग्याहर बजे के लगभग अपनी दुकान को बंद कर घर चला गया और उसकी दुकान का सहयोगी हेमराज पुत्र बाबुराम दुकान के आगे रखी बेंच पर सो गया। सवेरे उसे सूचना मिली कि रात्रि को हेमराज को जान से मारने की नियत से हेमराज के सिर पर ताबड़तोड़ हथियार से वार किए, जिस पर हेमराज के सिर पर गंभीर चोट आई और हेमराज राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में भर्ती है, तब वह तुरंत राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर गया और हेमराज की स्थिति देखी और तब डॉक्टर ने कहा कि हेमराज के सिर पर फ्रैक्चर है तथा सिर पर जानलेवा चोट लगी है, इसलिए हेमराज को तुरंत जोधपुर ले जाओ, तब डॉक्टर ने हेमराज को तुरंत जोधपुर रेफर किया और पुलिस को सूचना दी, तब मौका पर पुलिस आई और पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और दुकान के आगे लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे, तब ज्ञात हुआ कि दिनांक 10.06.2018 को रात्रि के 12 बजकर 06 मिनट पर एक व्यक्ति जिसने सफेद रंग की बनियान पहनी हुई थी, जिसके हाथ में लोहे का सरियानुमा व पाईपनुमा हथियार था, उसकी दुकान के आगे रखी बैंच पर सोये हुए हेमराज के सिर व शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। उसकी दुकान पर काम करने वाले अन्य सहयोगी देवाराम ने मारपीट करने वाले व्यक्ति को देखकर बताया कि यह तो मोतीचंद है और देवाराम ने उसको पहचान लिया व पास

में पार्षल का काम कर रहे प्रतापसिंह व पड़ोसी दुकानदार ठाकराराम ने भी सीसीटीवी में फोटो देखकर मोतीचंद की पहचान की है, क्योंकि रात्रि के 11 बजे लगभग मोतीचंद ने हेमराज के साथ उधार सामान को लेकर बहस–बाजी की थी और हेमराज को जान से मारने की धमकी उसके व देवाराम के रूबरू दी थी। उस समय पास की दुकान का मालिक ठाकराराम व पार्षल का काम करने वाले प्रतापसिंह भी पास ही खड़े थे, जो जान से मारने की नियत से मोतीचन्द द्वारा हमला करना सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट आ गया है। मोतीचंद ने ही हेमराज पर जानलेवा हमला कर हेमराज के सिर पर गंभीर चोटें पहुचाई हैं। सवेरे से वह हेमराज के ईलाज के लिए जोधपुर जाने के कारण व्यस्त था, जिस कारण सवेरे वह पुलिस थाना हल्का में रिपोर्ट इस घटना की पेश नहीं कर सका। उसकी दुकान पर कार्य करने वाले सहयोगी हेमराज के साथ मुलजिम मोतीचन्द ने जान से मारने की नियत से सुनियोजित तरीके से हथियार लेकर हेमराज के सिर पर ताबड़तोड वार कर जान से मारने का प्रयास किया है और मौके से फरार हो गया है। इत्यादि रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 262 दिनांक 11.06.2018 दर्ज कर बाद अनुसंधान मुलजिम मोतीचन्द के विरुद्ध धारा 323, 324, 326, 307 भा.दं.सं. में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. मुलजिम के न्यायालय में उपस्थित होने पर बहस चार्ज सुनी जाकर मुलजिम को धारा 323, 324, 326, 307 भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए समझाए गए तो मुलजिम ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहान को परीक्षित करवाया गया :–

गवाह संख्या	गवाह का नाम	विवरण
पी.ड. 1	हरखाराम	परिवादी, लिखित रिपोर्ट, फर्द नक्शा मौका हालात मौका, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज, फर्द जब्ती खून व एक खून आलूंदा बैड शीट का गवाह
पी.ड. 2	ठाकराराम	फर्द नक्शा मौका हालात मौका, फर्द जब्ती मौके पर गिरा हुआ खून व हड्डियों के टुकड़े और फर्द जब्ती हेमराज के वक्त वाका टेबल पर बिछायी हुई खून आलूंदा चद्दर का

		गवाह
पी.ड. 3	प्रतापसिंह	सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखे जाने का गवाह
पी.ड. 4	देवेन्द्र कुमार	फर्द नक्शा मौका हालात मौका, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखे जाने और फर्द जब्ती खून व एक खून आलूंदा बैड शीट का गवाह
पी.ड. 5	दामोदर कुमार	फर्द गिरफ्तारी, फर्द जब्ती टैक्सी, फर्द जब्ती आला–ए–जर्ब लोहे का पाना व कपड़े और फर्द नक्शा नजरी बरामदगी स्थल का गवाह
पी.ड. 6	हरदान	फर्द गिरफ्तारी, फर्द जब्ती टैक्सी, फर्द जब्ती आला–ए–जर्ब लोहे का पाना व कपड़े और फर्द नक्शा नजरी बरामदगी स्थल का गवाह
पी.ड. 7	श्यामलाल	थाने का अग्रेषण पत्र, एसपी बाड़मेर का अग्रेषण पत्र, रोड सर्टिफिकेट और प्राप्ति रसीद का गवाह
पी.ड. 8	स्वरूपसिंह	एसपी बाड़मेर का अग्रेषण पत्र, रोड सर्टिफिकेट व प्राप्ति रसीद
पी.ड. 9	हेमराज	मजरूब
पी.ड. 10	टुगी देवी	मजरूब की माता, मजरूब हेमराज के इशारों से लिखवाए गए बयान के प्रमाण पत्र की गवाह
पी.ड. 11	बाबुलाल	रोडवेज बस का अनुबंधित ड्राइवर तथा सीसीटीवी फुटेज देखे जाने का गवाह
पी.ड. 12	दिलीप कुमार चौधरी	मजरूब के बयान देने की स्थिति जानने के लिए राय हेतु दस्ती का गवाह
पी.ड. 13	ताजाराम	सीसीटीवी फुटेज देखे जाने का गवाह
पी.ड. 14	डॉ. रामजीवन	चिकित्सकीय साक्षी, चोट प्रतिवेदन मजरूब हेमराज व एक्स–रे रिपोर्ट मजरूब हेमराज का गवाह
पी.ड. 15	लुणाराम	अनुसंधान अधिकारी, फर्द इत्तला व फर्द नक्शा नजरी बरामदगीस्थल का गवाह
पी.ड. 16	राजेन्द्र कुमार	मालखाना प्रभारी, मालखाना, अग्रेषण पत्र, रोड सर्टिफिकेट व प्राप्ति रसीद का गवाह
पी.ड. 17	सुरेन्द्र कुमार	अनुसंधान अधिकारी, लिखित रिपोर्ट, चाक एफआईआर, फर्द नक्शा मौका हालात मौका, फर्द जब्ती खून आलूंदा बैड शीट, फर्द जब्ती घटनास्थल पर मौके पर पड़ा खून, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के प्रिंट, घटनास्थल के फोटोग्राफ्स, मजरूब हेमराज के चोट प्रतिवेदन, एक्स–रे रिपोर्ट व एक्स–रे प्लेट, गोयल हॉस्पीटल जोधपुर में इलाज से संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियां, मथुरा दास माथुर हॉस्पीटल जोधपुर से रिकोर्ड लेने बाबत तहरीर, फर्द गिरफ्तारी, फर्द जब्ती घटना में प्रयुक्त वाहन टैक्सी, फर्द इत्तला, 91 सीआरपीसी का नोटिस, 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र, हरखाराम का नगरपरिषद् से मकान किराये पर लेने का अनुज्ञा पत्र, सीसीटीवी कैमरे का बिल, मजरूब हेमराज बयान देने की स्थिति में है या नहीं इस संबंध में ली गई राय, अग्रेषण पत्र, रोड सर्टिफिकेट, प्राप्ति रसीद, मालखाना रजिस्टर, रोजनामचा आम, एफएसएल रिपोर्ट और आरोप पत्र पेश किए जाने का गवाह

प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये :—

प्रदर्श संख्या	**दस्तावेज का विवरण**	**विवरण**
प्रदर्श पी. 1	लिखित रिपोर्ट	पीडब्ल्यू 1 हरखाराम, पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 2	फर्द नक्शा मौका हालात मौका	पीडब्ल्यू 1 हरखाराम, पीडब्ल्यू 2 ठाकराराम, पीडब्ल्यू 4 देवेन्द्र कुमार, पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 3 से 12	सीसीटीवी फुटेज के फोटोग्राफ्स	पीडब्ल्यू 1 हरखाराम, पीडब्ल्यू 4 देवेन्द्र कुमार, पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 13	फर्द जब्ती घटनास्थल से प्राप्त खून	पीडब्ल्यू 1 हरखाराम, पीडब्ल्यू 2 ठाकराराम, पीडब्ल्यू 4 देवेन्द्र कुमार, पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 14	फर्द जब्ती घटनास्थल पर मिली एक बेड शीट रक्त रंजित	पीडब्ल्यू 1 हरखाराम, पीडब्ल्यू 2 ठाकराराम, पीडब्ल्यू 4 देवेन्द्र कुमार, पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 15	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम मोतीचन्द	पीडब्ल्यू 5 दामोदर कुमार, पीडब्ल्यू 6 हरदान, पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 16	फर्द जब्ती एक टैक्सी थ्री व्हीलर आरजे 04 पीए 4727	पीडब्ल्यू 5 दामोदर कुमार, पीडब्ल्यू 6 हरदान, पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 17	फर्द बरामदगी आलाय–ए–जरब लोहे का पाना व वक्त घटना मुलजिम के पहने पारचात खून आलुंदा	पीडब्ल्यू 5 दामोदर कुमार, पीडब्ल्यू 6 हरदान, पीडब्ल्यू 15 लुणाराम
प्रदर्श पी. 18	फर्द नक्शा नजरी बरामदगी स्थल पाना व पारचात	पीडब्ल्यू 5 दामोदर कुमार, पीडब्ल्यू 6 हरदान, पीडब्ल्यू 15 लुणाराम
प्रदर्श पी. 18	थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली का अग्रेषण पत्र	पीडब्ल्यू 7 श्यामलाल, पीडब्ल्यू 16 राजेन्द्र कुमार, पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 19	एसपी कार्यालय बाड़मेर का अग्रेषण पत्र	पीडब्ल्यू 7 श्यामलाल, पीडब्ल्यू 8 स्वरूपसिंह, पीडब्ल्यू 16 राजेन्द्र कुमार, पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 20	रोड सर्टिफिकेट	पीडब्ल्यू 7 श्यामलाल, पीडब्ल्यू 8 स्वरूपसिंह, पीडब्ल्यू 16 राजेन्द्र कुमार, पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 21	प्राप्ति रसीद	पीडब्ल्यू 7 श्यामलाल, पीडब्ल्यू 8 स्वरूपसिंह, पीडब्ल्यू 16 राजेन्द्र कुमार, पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 22	मजरूब हेमराज की माता टुगीदेवी का उसके पुत्र/मजरूब के चलने, फिरने, सुनने व बोलने में असमर्थ	पीडब्ल्यू 10 टुगी देवी

	होने व उसके ईशारे के अनुसार बयान लिखवाए जाने संबंधी प्रमाण–पत्र	
प्रदर्श पी. 23	मजरूब हेमराज के बयान देने की स्थिति होने अथवा नहीं होने बाबत राय दिलवाने हेतु तहरीर	पीडब्ल्यू 12 दिलीप कुमार चौधरी
प्रदर्श पी. 24	चोट प्रतिवेदन मजरूब हेमराज	पीडब्ल्यू 14 डॉ. रामजीवन, पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 25	एक्स–रे रिपोर्ट मजरूब हेमराज	पीडब्ल्यू 14 डॉ. रामजीवन, पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 25ए	एक्स–रे प्लेट्स	पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 26	मालखाना रजिस्टर	पीडब्ल्यू 16 राजेन्द्र कुमार, पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 26ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित फोटोप्रति	
प्रदर्श पी. 27 से 32	घटनास्थल के फोटोग्राफ्स	पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 33 से 35	जोधपुर में इलाज से संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियां (बेड हेड टिकट)	पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 36	एमडीएम अस्पताल जोधपुर को दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस हस्बदफा 91 सीआरपीसी	पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 37	एमडीएम अस्पताल, जोधपुर की बेड हेड टिकट की प्रमाणित फोटोप्रति	पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 38 व 39	फर्द इत्तला जैर हिरासत मुलजिम मोतीचन्द	पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 40	परिवादी हरखाराम को दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस हस्बदफा 91 सीआरपीसी	पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 41	हरखाराम का प्रमाण–पत्र धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का	पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 42	नगरपरिषद् से मकान किराए पर लेने का हरखाराम का अनुज्ञा पत्र	पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 43	सीसीटीवी कैमरे का बिल	पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 44 से 46	रोजनामचा आम की प्रमाणित प्रति	पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 47	चाक एफ.आई.आर.	पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 48	एफ.एस.एल रिपोर्ट	पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी. 49	आरोप पत्र	पीडब्ल्यू 17 सुरेन्द्र कुमार

दौराने अभियोजन साक्ष्य बंद खाखी लिफाफा जिस पर शामिल पत्रावली 262/18 Kot. पेन से अंकित है जिसके नीचे थानाधिकारी पुलिस

थाना कोतवाली बाड़मेर की सील अंकित है तथा अनुसंधान अधिकारी सुरेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर है आर्टिकल–1, एक कपड़े की थैली जिसमें वक्त घटना बिछाई खून आलुदा बेडशीट है आर्टिकल–2 व खून आलूंदा बेडशीट आर्टिकल–2ए, सफेद कपड़े की थैली में एक सीलचेपा युक्त डिब्बी जिसमें घटनास्थल से फर्श पर गिरा मजरूब का खून है आर्टिकल–3, सफेद कपड़े की थैली जिसमें आला–ए–जरब पाना खून आलूंदा है आर्टिकल–4 व पाना आर्टिकल–4ए, सफेद कपड़े की थैली जिसमें मुलजिम के वक्त वाका पहने खून आलुंदा पारचात बनियान व जिंस है आर्टिकल–5 व पेंट आर्टिकल–5ए एवं बनियान आर्टिकल–5बी है।

दौराने अभियोजन साक्ष्य गवाह हरखाराम के पुलिस बयान प्रदर्श डी–1, घटनास्थल के फोटोग्राफ्स प्रदर्श डी–2 व प्रदर्श डी–3 तथा गवाह देवाराम के पुलिस बयान प्रदर्श डी–2 प्रदर्शित करवाए गए।

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त के अभिकथन अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत कलमबद्ध किए गए, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान द्वारा उसके विरुद्ध दिए गए कथनों का गलत होना तथा संदेह व रंजिशवश उसके विरुद्ध बयान देना बताया एवं स्वयं का निर्दोष होना बताते हुए उसे झूठा फंसाया जाना बताया तथा प्रतिरक्षा में साक्षी परीक्षित करवाना नहीं चाहा।

6. बहस अंतिम उभय पक्षकारान की ध्यानपूर्वक सुनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया।

7. दौराने बहस विद्वान् लोक अभियोजक की ओर से तर्क पेश किया कि परिवादी हरखाराम के द्वारा स्वयं की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस को दी गई है। उनका यह भी तर्क रहा है कि परिवादी हरखाराम एवं प्रकरण के अधिकतर गवाहान ने अपनी साक्ष्य में उक्त सीसीटीवी फुटेज को देखकर उक्त फुटेज में मजरूब हेमराज के साथ मारपीट करते हुए व्यक्ति की पहचान मुलजिम मोतीचंद के रूप में किए जाने के संबंध में साक्ष्य दी है। उनका यह भी तर्क रहा है कि पत्रावली पर सीसीटीवी फुटेज की फोटोग्राफ्स एवं 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध है। इस प्रकार उनका यह तर्क रहा है कि अभियोजन

पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोतिप अपराधों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा। अतः मुलजिम को आरोपित अपराध के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

8. दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क पेश किया कि प्रकरण में आरोपों के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण गवाह स्वयं परिवादी हरखाराम, मजरूब हेमराज एवं अन्य गवाहान ने परस्पर विरोधाभासी कथन किए हैं। उनका यह भी तर्क रहा है कि गवाह पीडब्ल्यू 14 डॉ. रामीजवन ने मजरूब हेमराज के सिर पर आई चोटें धारदार हथियार से कारित होना बताया है, परंतु प्रकरण में मुलजिम मोतीचंद से किसी धारदार हथियार की बरामदगी नहीं की गई है, मुलजिम मोतीचंद से मात्र लोहे का पाना बरामद किया गया है जो कि किसी भी वाहन में आसानी से मिल सकता है। इस प्रकार उनका यह तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोतिप अपराधों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जावे। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए :–

(i) (2025) 3 RCR (Criminal) 733, SHAIL KUMARI Vs. STATE OF CHHATTISGARH, Criminal Appeal No. 2189 of 2017, Decided : 06-08-2025

9. दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं संबंधित कानून का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अब इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

> (1.) ''आया अभियुक्त ने दिनांक 10.06.2018 की मध्य रात्रि में स्थान वृद्धिचंद जैन केन्द्रीय बस स्टेशन बाड़मेर के अंदर दुकान नंबर चार के बाहर आहत हेमराज के साथ कुंद हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की तथा आहत हेमराज के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व गंभीर उपहतियां कारित की तथा आहत हेमराज को जान से मारने की नियत से उसके शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचायी, यदि उक्त चोटों से उसकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त हत्या का दोषी होता, इस प्रकार अभियुक्त ने आहत हेमराज की हत्या करने का प्रयत्न किया?''

10. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में प्रस्तुत प्रकरण का उद्भव परिवादी हरखाराम के द्वारा पुलिस थाना कोतवाली, बाड़मेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 के आधार पर हुआ, जिस प्रदर्श पी 1 के संबंध में उल्लेख इस निर्णय के प्रारम्भ में किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष के द्वारा विचारणीय बिन्दु को साबित करने के क्रम में अभियोजन साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 1 लगायत पी.डब्ल्यू. 17 को परीक्षित करवाया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 49 व आर्टिकल–1 लगायत आर्टिकल–5बी प्रदर्शित करवाए गए हैं तथा बचाव पक्ष की ओर से दौराने अभियोजन प्रदर्श डी 1 लगायत प्रदर्श डी 3 प्रदर्शित करवाए गए हैं, जिस संदर्भ में मैं सर्वप्रथम इस प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह **पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम** जो कि प्रस्तुत प्रकरण का परिवादी भी है तथा जिसके द्वारा इस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.06.2018 को प्रदर्श पी 1 प्रस्तुत की गई है, ने स्वयं की साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि उसकी बाड़मेर शहर में केन्द्रीय बस स्टेशन में प्रोविजन स्टोर की दुकान आयी हुई है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसकी दुकान पर एक देवाराम (पीडब्ल्यू 4) काम करता था व हेमराज (पीडब्ल्यू 9) भी दुकान पर सहयोगी के रूप में काम करता था। गवाह ने यह भी कथन किया है कि दिनांक 10.06.2018 की रात्रि को करीब 11:00 बजे दिशातंरी मोतीचंद अपनी टैक्सी लेकर आयण व उसके सहयोगी हेमराज के साथ बोलचाल की, मोतीचंद ने हेमराज से सामान उधार मांगा, तब हेमराज ने मना कर दिया, जिस पर इनके आपस में बहस होने लगी। गवाह ने यह भी कथन किया है कि तब उसने व देवाराम ने बीच–बचाव किया। गवाह ने स्वयं की साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि तब मोतीचंद ने धमकी दी कि देख लूंगा, यह कहकर वह चला गया। फिर गवाह ने कथन किया है कि वह भी रात्रि के करीब 11:30 बजे दुकान बंद करके घर चला गया तथा दूसरे दिन सुबह 06:00 बजे उसे सूचना मिली कि हेमराज के साथ मारपीट हुई है और वह हॉस्पीटल में भर्ती है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में घटना की उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोजन साक्षी पीडब्ल्यू 1 हरखाराम के द्वारा पुलिस थाना कोतवाली, बाड़मेर में दिनांक 11.06.2018 को समय 11:37 पी.एम. पर दी गई है। गवाह की उक्त साक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन एवं मनन से

यह जाहिर होता है कि दिनांक 10.06.2018 को रात्रि के लगभग 11:00 बजे मुलजिम मोतीचंद स्वयं की टैक्सी लेकर इस गवाह की दुकान पर आया था और इसकी दुकान पर कार्य करने वाले मजरूब हेमराज (पीडब्ल्यू 9) के साथ बोलचाल हुई तथा सामान उधार मांगा और हेमराज के द्वारा मना करने पर मलजिम मोतीचंद ने धमकी दी कि उसको देख लेगा।

बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि हेमराज उसके रिश्ते में कुछ नहीं लगता है तथा वह सहयोगी के रूप में उसकी दुकान पर काम करता था। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि घटना के समय वह मौके पर नहीं था, वह घर पर था। इस प्रकार यह उभयपक्ष की ओर से स्वीकृत स्थिति है कि घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है तथा संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन करें तो कोई भी व्यक्ति इस घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है तथा इस निर्णय में आगे जब स्वयं मजरूब हेमराज की साक्ष्य का अवलोकन एवं मनन किया जाएगा तो उससे भी यह स्पष्ट हो जाएगा कि स्वयं मजरूब हेमराज को भी यह जानकारी नहीं थी कि उसके साथ किसने मारपीट की। गवाह पीडब्ल्यू 1 हरखाराम ने बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में आगे यह भी कथन किया है कि उसने अपनी आंखों से घटना नहीं देखी थी तथा रिपोर्ट उसने नहीं लिखी थी, टाइप वाले ने लिखी थी। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि प्रदर्श पी 1 पर सिर्फ एक जगह उसके हस्ताक्षर है तथा प्रदर्श पी 1 का प्रथम पेज चेंज किया हो तो उसे पता नहीं। गवाह ने यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि जो रिपोर्ट पेश की, उस पर उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि रिपोर्ट उसने दूसरे दिन पेश की थी। गवाह ने स्वयं के मुख्य परीक्षण में यह भी कथन किया है कि दूसरे दिन सुबह 06:00 बजे उसे सूचना मिली कि हेमराज के साथ मारपीट हुई है और वह हॉस्पीटल में भर्ती है, तब वह हॉस्पीटल गया और वहां डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर ने बताया कि हेमराज की हालत नाजुक है और इसको इलाज के लिए रेफर करना पड़ेगा। गवाह ने मुख्य परीक्षण में यह भी कथन किया कि हेमराज के सिर पर चोटें आयी हुई थी। फिर वह व हेमराज की माता (पीडब्ल्यू 10) व हेमराज के रिश्तेदार हेमराज को इलाज हेतु जोधपुर ले गए एवं वह रात को वापस आया गया, फिर घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पुलिस को दी, जिस पर गवाह ने ए से बी तीन जगह स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन किया है। गवाह

ने घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी 2 पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन किया है तथा उक्त नक्शा मौका स्वयं के सामने पुलिस द्वारा बनाया जाना कथन किया है। गवाह ने स्वयं के मुख्य परीक्षण में यह भी कथन किया है कि उसकी दुकान पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तथा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद उसकी दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे थे, जिसमें एक बनियान पहने हुए लड़का जिसके हाथ में सरिया था, उसने सरिये से हेमराज के साथ मारपीट की, जिसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने लिए थे। गवाह ने स्वयं के मुख्य परीक्षण में यह भी कथन किया है कि उसकी दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पत्रावली में उपलब्ध हैं जो प्रदर्श पी 3 लगायत 12 है। गवाह ने स्वयं की साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि सीसीटीवी में लगे फुटेज देखने से पता चला था कि हेमराज के साथ मारपीट करने वाला मोतीचंद था। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में मुलजिम के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण साक्षी उक्त सीसीटीवी फुटेज को देखे जाने का कथन करता है, जिस सीसीटीवी फुटेज के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी 3 लगायत 12 है, जिसका इस न्यायालय के द्वारा ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रदर्श पी 3 लगायत 12 के अवलोकन एवं मनन से यह जाहिर होता है कि उसमें एक व्यक्ति एक सोये हुए व्यक्ति पर किसी वस्तु से प्रकार कर रहा है। अब न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या वह व्यक्ति मुलजिम मोतीचंद ही था या कोई अन्य व्यक्ति था। इस संदर्भ में इस न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण साक्ष्य यही आयी है कि उक्त घटना के मात्र चार घण्टे पूर्व मुलजिम मोतीचंद के द्वारा दिनांक 10.06.2018 को रात्रि करीब 11:00 बजे पीडब्ल्यू 1 हरखाराम की केन्द्रीय बस स्टेण्ड पर स्थित प्रोविजन स्टोर की दुकान पर कार्यरत मजरूब हेमराज (पीडब्ल्यू 9) के साथ बोलचाल की थी तथा मुलजिम मोतीचंद ने मजरूब हेमराज से सामान उधार मांगा था तथा हेमराज के द्वारा मना करने पर उसको यह धमकी दी थी कि वह उसको देख लेगा, लेकिन इस प्रकार अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्त मोतीचंद के द्वारा मजरूब हेमराज के साथ कोई अपराध कारित करने के हेतुक के संबंध में जो साक्ष्य दी गई है, उस संदर्भ में बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि गवाह की उक्त साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जा सके तथा साथ ही गवाह ने स्वयं की साक्ष्य में पुलिस को उसकी स्वयं की

दुकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस को देने बाबत कथन किया है। बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को सही होना कहा है कि रिपोर्ट उसने दूसरे दिन पेश की थी। गवाह ने जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि सीसीटीवी कैमरे उसके रूबरू पुलिस वालों ने देखे थे। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि प्रदर्श पी 2, 3 व 14 पर उसके हस्ताक्षर थाने में करवाए थे। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि प्रदर्श डी 1 का भाग ए से बी उसके बयान नहीं हुए। मैंने इस संदर्भ में गवाह के प्रदर्श डी 1 बयान के भाग ए से बी का अवलोकन एवं मनन किया, जिसमें गवाह ने पुलिस के समक्ष उसकी एक दुकान वृद्धिचंद जैन केन्द्रीय बस स्टेशन बाड़मेर के अंदर दुकान नंबर 4 आयी हुई होना, उसकी दुकान पर सहयोग के लिए हेमराज पुत्र बाबुराम कार्यरत होना तथा उक्त दुकान का छोटा—मोटा काम करके दुकान के बाहर ही सो जाना, उसकी दुकान रात्रि के लगभग 11:30 बजे तक बंद करना तथा घटना की दिनांक को 11:00 बजे उसकी दुकान पर मोतीचंद देशांतरी टैक्सी लेकर आने एवं उसकी दुकान के सहयोगी हेमराज से सामान उधार मांगने एवं हेमराज द्वारा उधार सामान देने से मना करने पर मुलजिम मोतीचंद का हेमराज को धमकी देने कि वह उसको देख लेगा, उसके बाद हेमराज व मोतीचंद के आपस में बहस होने, तब उसकी दुकान पर वह व देवाराम मौजूद होने, मोतीचंद को वहां से उनके द्वारा जैसे—तैसे समझाकर भेजने, रात्रि को 11:30 बजे के लगभग उसकी दुकान को बंद कर घर चले जाने और उसकी दुकान का सहयोगी हेमराज दुकान के आगे रखी बेंच पर सो जाने, घटना के पश्चात् सुबह उसको सूचना मिलने की रात्रि को हेमराज को जान से मारने की नीयत से हेमराज के सिर पर ताबड़तोड़ हथियार से वार किए जाने से हेमराज के सिर पर गंभीर चोट आने एवं हेमराज को राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में भर्ती होने तथा उसका तुंरत राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर जाने, डॉक्टर द्वारा हेमराज को तुंरत जोधपुर रेफर किए जाने तथा पुलिस को सूचना देने पर मौका पर पुलिस के आने और पुलिस द्वारा घटनास्थनल का मुआयना कर दुकान के आगे लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखने तथा तब ज्ञात होने कि दिनांक 10.06.2018 की रात्रि को 12 बजकर 06 मिनट पर एक व्यक्ति जिसने सफेद रंग की बनियान पहुनी हुई थी, उक्त कथनों को देने से इंकार किया है, परंतु इस न्यायालय

के समक्ष हुई साक्ष्य में गवाह ने उक्त कथनों को स्पष्ट रूप से साक्ष्य में कथन किया है। गवाह ने स्वयं के प्रदर्श डी 1 के बयान के भाग ए से बी का मिथ्या या गलत होने बाबत कथन नहीं किया है, बल्कि मात्र यह कथन किया गया कि उसने उक्त बयान पुलिस को नहीं दिए। इस प्रकार गवाह की उक्त साक्ष्य से यह जाहिर होता है कि गवाह ने पुलिस को उक्त कथन नहीं दिए जाने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि इस न्यायालय के समक्ष गवाह के साक्ष्य में किए गए उक्त तथ्य अविश्वसनीय हो जाएं, क्योंकि इस प्रकरण में इस न्यायालय के द्वारा निर्णय में आगे अभियोजन पक्ष के अन्य साक्षियों की साक्ष्य का भी विवेचन किया जाएगा, जिन्होंने गवाह पीडब्ल्यू 1 हरखाराम की साक्ष्यों की संपुष्टि में साक्ष्य दी है। गवाह ने स्वयं की साक्ष्य में बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में बचाव पक्ष के इस सुझाव को सही होना कहा है कि उसने घटना आंखों से होते नहीं देखी थी जो कि उभयपक्षों की एक स्वीकृत स्थिति है। इस घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं था। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि प्रदर्श पी 3 लगायत 12 में व्यक्ति का फोटो स्पष्ट दिखायी नहीं दे रहा है। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि बस स्टेशन पर रात के 12 बजे तक बसें आती–जाती रहती हैं। गवाह ने इस सुझाव को गलत होना कहा है कि हेमराज उसके साथ काम करने के कारण वह झूठे बयान दे रहा हो। इस प्रकार इस प्रकरण के परिवादी पीडब्ल्यू 1 हरखाराम की संपूर्ण साक्ष्य के अवलोकन एवं मनन से इस न्यायालय के समक्ष यह परिलक्षित हुआ है कि प्रस्तुत प्रकरण में मुलजिम मोतीचंद घटना के 3–4 घण्टे पूर्व उसकी दुकान पर आया था और मजरूब हेमराज (पीडब्ल्यू 9) के साथ कहा–सुनी की थी तथा उसकी दुकान से सामान उधार मांगा था तथा मजरूब हेमराज के द्वारा मना करने पर उसको धमकी दी कि उसको देख लेगा तथा इस गवाह ने स्वयं की दुकान पर लगे सीसीटीवी की फुटेज को पुलिस को दिया है तथा उक्त फुटेज में मुलजिम मोतीचंद की पहचान भी की है, परंतु इसी संदर्भ में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू. 17 सुरेन्द्र कुमार ने बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में इस सुझाव को सही होना कहा है कि सीसीटीवी फोटो प्रदर्श पी 3 लगायत प्रदर्श पी 12 में प्रदर्शित फोटो में व्यक्ति का चेहरा दर्शित नहीं हो रहा है तथा इस सुझाव को भी सही होना कहा है कि चेहरे से व्यक्ति की पहचान नहीं हो रही है।

अब इस न्यायालय को यह देखना है कि पीडब्ल्यू 1 हरखाराम

के द्वारा जो पुलिस को उसकी दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दी गई है, उस संदर्भ में गवाह के द्वारा धारा 65 बी प्रमाण पत्र अनुसंधान अधिकारी को दिया गया अथवा नहीं, इस संदर्भ में इस प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम ने स्वयं इस न्यायालय के समक्ष हुई साक्ष्य में कहीं कथन नहीं किया है कि उसके द्वारा धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कोई प्रमाण पत्र प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 17 सुरेन्द्र कुमार को दिया गया था। मैंने 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 06.08.2018 को टाइप किया हुआ है जो कि निम्न है :–

''प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम

मैं हरखाराम पुत्र श्री राणाराम जाति जाट उम्र 38 साल पेशा दुकानदारी निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरी दुकान नं. 04 केन्द्रीय वृद्विचन्द जैन बस स्टैण्ड में आयी हुई है, जिसका अनुज्ञा पत्र मेरे पास है। उक्त दुकान में मेरे द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, जिनकी देखभाल मैं स्वयं करता हूँ तथा संचालन में भी स्वयं करता हूँ। दिनाँक 10.06.2018 को रात्रि में मेरी दुकान के आगे सो रहे हेमराज के साथ मोतीचन्द ने रात्रि में मारपीट की थीं। उसके फुटेज मेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। उसके फोटु व रात्रि की घटना की पूरी फुटेज मैंने पेन ड्राईव में डालकर पेश किये थे, जिसका मैं प्रमाण पत्र जारी करता हूँ जो वक्त बहस न्यायालय में काम आवे।

दिनांक : 06.08.2018

ए से बी परिवादी हरखाराम
के हस्ताक्षर''

इस संदर्भ में मेरे द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत **Anvar P.V. V/S P.K.Basheer' 2014 AIR SCW 5695** का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह मत अभिनिर्धारित किया है

कि :—

...Under Section 65B(4) of the Evidence Act, if it is desired to give a statement in any proceedings pertaining to an electronic record, it is permissible provided the following conditions are satisfied:

(a) There must be a certificate which identifies the electronic record containing the statement;

(b) The certificate must describe the manner in which the electronic record was produced;

(c) The certificate must furnish the particulars of the device involved in the production of that record;

(d) The certificate must deal with the applicable conditions mentioned under Section 65B(2) of the Evidence Act; and

(e) The certificate must be signed by a person occupying a responsible official position in relation to the operation of the relevant device. In view of the law laid down in respect of electronic records, which is printed on a paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media produced by a computer, if the same is accompanied with required Certificate u/s 65-B of India Evidence Act, then same would be treated as document and would be admissible in evidence.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड के संदर्भ में दी गई साक्ष्य के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं उल्लेखित की हैं, वह प्रस्तुत प्रकरण में उसकी पालना नहीं की गई है।

मेरे द्वारा इस संदर्भ में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का गहनता पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया, जो निम्न है :—

<u>धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम</u> — "इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राह्यता — (1) इस अधिनियम में किसी बात होते हुए भी, किसी इलेक्ट्रोनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किसी सूचना को भी, जो कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित और किसी कागज पर मुद्रित, प्रकाशीय या चुम्बकीय मीडिया में भण्डारित, अभिलिखित या नकल की गई हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् कम्प्यूटर निर्गम कहा गया है), तब एक दस्तावेज समझा जाएगा, यदि

प्रश्नगत सूचना और कम्प्यूटर के संबंध में, इस धारा में उल्लिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं और वह मूल की किसी अंतर्वस्तु या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होता, अतिरिक्त सबूत या मूल को पेश किए बिना ही किन्हीं कार्यवाहियों में ग्राह्य होगा।

(2) कम्प्यूटर निर्गम की बाबत् उपधारा (1) में वर्णित शर्तें निम्नलिखित होगी, अर्थात् –

(क) सूचना से युक्त कम्प्यूटर निर्गम, कम्प्यूटर द्वारा उस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया था, जिसमें उस व्यक्ति द्वारा, जिसका कम्प्यूटर के उपयोग पर विधिपूर्ण नियंत्रण था, उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकल्प के प्रयोजन के लिए, सूचना भंडारित करने या 'प्रसंस्करण करने के लिए नियमित रूप से कम्प्यूटर का उपयोग किया गया था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इलेक्ट्रोनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किस्म की सूचना या उस किस्म की, जिससे इस प्रकार अंतर्विष्ट सूचना व्युत्पन्न प्राप्त की जाती है, उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर में नियमित रूप से भरी गई थी;

(ग) उक्त अवधि के महत्वपूर्ण भाग में आद्योपांत, कम्प्यूटर समुचित रूप से कार्य कर रहा था अथवा यदि नहीं तो, उस अवधि के उस भाग की बाबत्, जिसमें कम्प्यूटर समूचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था या वह उस अवधि में प्रचालन में नहीं था, ऐसी अवधि नहीं थी, जिसमें इलेक्ट्रोनिक अभिलेख या उसकी अंतर्वस्तु की शुद्धता प्रभावित होती हो ; और

(घ) इलेक्ट्रोनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट सूचना ऐसी सूचना से पुनः उत्पादित या व्युत्पन्न की जाती है, जिसे उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर में भरा गया था।

(3) जहां किसी अवधि में, उपधारा (2) के खण्ड (क) में यथा–उल्लिखित, उस अवधि के दौरान नियमित रूप से किए गए किन्हीं क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए सूचना के भण्डारण या प्रसंस्करण का कार्य कम्प्यूटरों द्वारा नियमित रूप से निष्पादित किया गया था, चाहे वह –

(क) उस अवधि में कम्प्यूटरों के प्रचालन के 'संयोजन द्वारा; या

(ख) उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालित निभिन्न कम्प्यूटरों द्वारा;

या

(ग) उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालित कम्प्यूटरों के विभिन्न संयोजनों द्वारा; या

(घ) उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालन को अंतर्वलित करते हुए किसी अन्य रीति में हो, चाहे वह एक या अधिक कम्प्यूटरों और एक या अधिक कम्प्यूटरों के संयोजनों द्वारा किसी भी कम में हो,

उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए सभी कम्प्यूटर इस धारा के प्रयोजनों के लिए एकल कम्प्यूटर के रूप में माने जाएंगे और इस धारा में कम्प्यूटर के प्रति निर्देश का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(4) किन्हीं कार्यवाहियों में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना वांछित है, निम्नलिखित बातों में सी किसी बात को पूरा करते हुए प्रमाण पत्र, अर्थात् :—

(क) विवरण से युक्त इलेक्ट्रोनिक अभिलेख की पहचान करना और उस रीति का वर्णन करना जिससे इसका उत्पादन किया गया था;

(ख) उस इलेक्ट्रोनिक अभिलेख के उत्पादन में अन्तर्वलित किसी युक्ति को ऐसी विशिष्टियां देना, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हों, कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का कम्प्यूटर द्वारा उत्पादन किया गया था;

(ग) ऐसे विषयों में से किसी पर कार्यवाही करना, जिससे उपधारा (2) में उल्लिखित शर्तें संबंधित हैं,

और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्यित होना, जो सुसंगत युक्ति के प्रचालन या सुसंगत क्रियाकलाप के प्रबंध के (जो भी समुचित हो) संबंध में उत्तरदायी पदीय हैसियत में हो, प्रमाण—पत्र में कथित किसी विषय का साक्ष्य होगा; और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे विषय के लिए यह कथन पर्याप्त होगा कि यह कथन करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कहा गया है।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए —

(क) सूचना किसी कम्प्यूटर को प्रदाय की गई समझी जाएगी यदि वह किसी समुचित रूप में प्रदाय की गई है, चाहे इस प्रकार किया गया प्रदाय सीधे (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या किसी समुचित उपकरण के माध्यम द्वारा किया गया हो;

(ख) चाहे किसी पदधारी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के अनुक्रम में सूचना इसके भंडारित या प्रसंस्कृत किए जाने की दृष्टि से उक्त क्रियाकलापों के अनुक्रम से अन्यथा प्रचालित कम्प्यूटर द्वारा उक्त क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए प्रदाय की जाती है। वह सूचना, यदि सम्यक् रूप से उस कम्प्यूटर को प्रदाय की जाती है तो, उन क्रियाकलापों के अनुक्रम में प्रदाय की गई समझी जाएगी;

(ग) कम्प्यूटर उत्पाद को कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित समझा जाएगा, चाहे यह इसके द्वारा सीधे उत्पादित हो (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम से हो।''

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अनवर पी.वी.(सुप्रा)** के न्यायिक निर्णय में किसी भी इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड के संदर्भ में साक्ष्य दी जाती है तो धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपरोक्त वर्णित शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक माना गया है, परंतु इस संदर्भ में अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू. 17 सुरेन्द्र कुमार ने बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि पेनड्राइव व 65बी का प्रमाण पत्र दोनों साथ में प्रार्थी हरखाराम द्वारा दिए गए थे, किस तारीख को दिए गए थे, उसे याद नहीं है। पत्रावली में प्रार्थी ने पेनड्राइव व प्रमाण पत्र किस तारीख को दिया था, सहवन से लिखना रह गया था, जिसके कारण वह नहीं बता सकता कि प्रार्थी ने किस तारीख को प्रमाण पत्र दिया था। इस प्रकार धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के शर्तों की अक्षरशः पालना नहीं की गई है एवं स्वयं पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम ने भी स्वयं की साक्ष्य में कहीं कथन नहीं किया है कि उसने धारा 65बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 41 प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को दिया हो और न ही प्रदर्श पी 41 पर प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी के द्वारा उक्त प्रमाण पत्र को दौराने अनुसंधान प्राप्त कर शामिल पत्रावली करने बाबत किसी प्रकार के कोई भी हस्ताक्षर व दिनांक

अंकित नहीं की गई है, जिससे भी सीसीटीवी फुटेज का जो पेनड्राइव पी. डब्ल्यू. 1 हरखाराम के द्वारा पुलिस को दिए जाने का कथन किया गया है, उस संदर्भ में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी में उक्त सीसीटीवी फुटेज की साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य है, परंतु उक्त पैनड्राइव किस तारीख को पेश किया, तारीख का उल्लेख नहीं है और न ही पेनड्राइव आर्टिकल 1 की फर्द तैयार की गई है। इस प्रकार धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्णित शर्तों की अक्षरशः पालना नहीं किए जाने के कारण उक्त पेनड्राइव साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं होने से साक्ष्य में ग्राह्य योग्य होना नहीं माना जा सकता। यह प्रकरण पूर्ण रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य सेशन अपराध में अभियोजन पक्ष को समस्त परिस्थितियों की कड़ीबद्ध श्रृंखला को स्वयं की सुदृढ़ व विश्वसनीय साक्ष्य से समस्त कड़ियों को जोड़ा जाना एवं साबित किया जाना आवश्यक होता है, जिसका इस प्रकरण में अभाव है।

इस प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम ने बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में इस सुझाव को सही होना कहा है कि प्रदर्श पी 3 से 12 में व्यक्ति का फोटो स्पष्ट दिखायी नहीं दे रहा है। इस प्रकार जहां स्वयं गवाह पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम को प्रदर्श पी 3 लगायत प्रदर्श पी 12 सीसीटीवी फुटेज की फोटोग्राफ्स में व्यक्ति का फोटो स्पष्ट दिखायी नहीं दे रहा था तो सीसीटीवी फुटेज में वह व्यक्ति मुलजिम मोतीचंद ही था, इस संदर्भ में स्वयं पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम की साक्ष्य में विरोधाभास होना प्रकट हुआ है, जिससे उसकी साक्ष्य संदिग्धता की परिधि में आ जाती है तथा यहां यह तथ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जो पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम की दुकान पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तब मात्र रात्रि में हेमराज के साथ हुई मारपीट के संदर्भ में ही सीसीटीवी फुटेज पुलिस को क्यों उपलब्ध करवायी गयी, घटना के पूर्व मुलजिम मोतीचंद के द्वारा मजरूब हेमराज के साथ हरखाराम की दुकान पर हुई बोलचल होने के संदर्भ में अभियोजन पक्ष के साक्षियों के द्वारा जो साक्ष्य दी गई है, उस समय की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को क्यों नहीं उपलब्ध करवायी गयी, जिससे भी प्रकरण की परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में संदिग्धता उत्पन्न होती है।

11. अब इस संदर्भ में प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण गवाह **पीडब्ल्यू 2**

ठाकराराम है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके पिता योगेश बेनीवाल के नाम की किराणे की दुकान बाड़मेर शहर में वृद्धिचंद जैन केन्द्रीय बस स्टेण्ट के अंदर आयी हुई है, जिसमें वह काम करता है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि दुकान सुबह करीब 07:00 बजे खोलता है और रात को लगभग 11:30 बजे तक दुकान पर बैठता है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसकी दुकान के पास हरखराम की दुकान आयी हुई है जो किराणे की दुकान है, जिस पर हरखाराम काम करता है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि दुकान पर देवेन्द्र और हेमराज काम करते हैं। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 1 हरखाराम की दुकान पर देवेन्द्र एवं हेमराज का कार्यरत होने के तथ्य की संपुष्टि इस गवाह की साक्ष्य से भी होती है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि दिनांक 10.06.2018 को रात्रि के 11:30 बजे हरखाराम की दुकान पर मोतीचंद पुत्र बाबूलाल टैक्सी नंबर आरजे–04–टीए–4727 लेकर आया और हेमराज से उधार सामान मांगा, जिसका हेमराज ने मना किया तो मोतीचंद ने बहसबाजी की और उसके बाद कहा कि रात को तूझे देख लूंगा। इस प्रकार मुलजिम मोतीचंद का घटना के तुरंत 3–4 घण्टे पूर्व हरखाराम की दुकान पर आकर मजरूब हेमराज के साथ बोलचाल करना एवं उसे देख लेने की साक्ष्य की पुष्टि भी इस साक्षी की साक्ष्य से होती है। गवाह ने स्वयं के मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मोतीचंद शराब के नशे में धुत था, फिर मोतीचंद वहां से चला गया और हरखाराम भी दुकान बंद कर घर चला गया। गवाह ने यह भी कथन किया है कि हेमराज दुकान के आगे टेबल पर सो गया तथा रात्रि 02:00 बजे मोतीचंद वापस आया, जिसके हाथ में लोहे का सरिया लिया हुआ था जो हेमराज के सोये हुए के सिर पर 12–13 वार किए, जिससे हेमराज गंभीर घायल हो गया। गवाह ने यह भी कथन किया कि वे सुबह 07:00 बजे दुकान खोलने आए थे, तभी हेमराज टेबल के नीचे गिरा हुआ था तथा पुलिस को सूचित किया, तब मौके पर पुलिस पहुंची। गवाह ने पीडब्ल्यू 1 हरखाराम की साक्ष्य की पुष्टि में स्वयं के मुख्य परीक्षण में यह भी कथन किया है कि हरखाराम की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर देखा कि मोतीचंद के हाथ में लोहे का सरिया लिया हुआ था और वह हेमराज के साथ मारपीट कर रहा था, परंतु निर्णय में अब तक के हुए विवेचन से गवाह पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम ने सीसीटीवी फुटेज को पुलिस को देने का कथन किया है, परंतु इस संदर्भ

में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र पुलिस को दौराने अनुसंधान दिया गया हो, ऐसा पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम के द्वारा अपनी साक्ष्य में कथन नहीं किया गया है तथा सीसीटीवी की पेनड्राइव एवं फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी 3 लगायत 12 को द्वितीयक साक्ष्य में इस न्यायालय द्वारा ग्राह्य नहीं किया गया है। इस प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू. 2 ठाकराराम की अब तक की साक्ष्य के अवलोकन एवं मनन से यह तो जाहिर होता है कि दिनांक 10.06. 2018 को रात्रि करीब 11 बजे मुलजिम मोतीचंद ने मजरूब हेमराज के साथ बोलचाल की थी तथा सामान उधार मांगा था तथा उसे देख लेने की धमकी भी दी थी, परंतु तत्पश्चात् जिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उक्त गवाहान ने मुलजिम मोतीचंद की पहचान की है, वह धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अक्षरशः पालना नहीं होने के आधार पर उक्त सीसीटीवी फुटेज की फोटोग्राफ्स, पेनड्राइव एवं प्रदर्श पी 3 लगायत प्रदर्श पी 12 को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जा सकता है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि हेमराज को सुबह उन्होंने देखा, तब वह गंभीर हालात में पड़ा था, जिसको हॉस्पीटल लेकर गए। गवाह ने यह भी कथन किया है कि हेमराज के सिर पर गंभीर चोटें आयी हुई थी और सिर की हड्डियों के टुकड़े बाहर गिरे हुए थे। इस घटना की रिपोर्ट हरखाराम ने पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज करवायी थी और पुलिस ने मौके पर आकर लिखा–पढ़ी की थी तथा गवाह के सामने घटनास्थल का मौका देखकर नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी 2 बनाया तथा गवाह ने प्रदर्श पी 2 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि पुलिस ने मौके से गिरा हुए खून व हड्डियों के टुकड़े बरामद कर उसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 13 बनायी तथा पुलिस ने हेमराज के वक्त वाका टेबल पर बिछायी हुई खून आलूंदा चद्दर कब्जा पुलिस लेकर उसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 14 बनायी। गवाह ने प्रदर्श पी 13 व 14 पर स्वयं के हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि वह मोतीचंद को पहले से जानता है जो उसकी दुकान पर पहले भी आता–जाता था।

बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को सही होना कहा है कि वह भी जाट है और घायल हेमराज भी जाट है तथा वे दोनों एक ही जाति के हैं। इस प्रकार गवाह और मजरूब हेमराज के एक ही जाति के होने मात्र से इस साक्षी की साक्ष्य को संदिग्ध

हुआ नहीं माना जा सकता तथा इस साक्षी को हितबद्ध साक्षी नहीं माना जा सकता है, जब तक कि इस साक्षी की संपूर्ण साक्ष्य का अवलोकन एवं मनन न कर लिया जावे। गवाह ने बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में यह कथन किया है कि जब मुलजिम मोतीचंद रात को आया था, उस समय सफेद बनियान पहनी हुई थी, उसके कोई शर्ट पहना हुआ नहीं था। इस प्रकार गवाह की जिरह में आए उक्त कथनों से पीडब्ल्यू 1 हरखाराम के इस तथ्य की संपुष्टि होती है कि उसके द्वारा पुलिस को प्रस्तुत सीसीटीवी फुटेज में देखने पर सफेद बनियान पहना हुआ व्यक्ति, जिसके शर्ट पहना हुआ नहीं है तथा उक्त व्यक्ति की पहचान स्वयं हरखाराम ने मुलजिम मोतीचंद के रूप में की है। गवाह ने बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में इस सुझाव को भी सही होना कहा है कि जिस समय हेमराज के सिर पर मोतीचंद ने वार किया, उस समय वह वहां मौजूद नहीं था। इस प्रकार यह भी उभयपक्षों की एक स्वीकृत स्थिति है कि उक्त घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। गवाह ने इस सुझाव को भी सही होना कहा है कि घटना होते उसने अपनी आंखों से नहीं देखी थी, अजखुद में कहा कि सीसीटीवी फुटेज में उसने उक्त घटना देखी थी। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि उसके पुलिस में बयान हुए थे। इस प्रकार स्वयं बचाव पक्ष ने इस तथ्य को सही होना स्वीकार किया है कि पुलिस के समक्ष उक्त गवाह के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान हुए थे। गवाह ने यह कथन किया है कि दिनांक 11.06.2018 को हुए थे। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि उस समय उसके साथ प्रतापसिंह भी था तथा प्रतापसिंह पार्सल सप्लाई का काम करता है। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि पुलिस ने सरिया उसके सामने जब्त किया था, फिर कहा कि सरिया वहां नहीं था, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में मोतीचंद से किसी प्रकार के सरिये की बरामदगी नहीं की गई है तथा इस संबंध में प्रकरण के गवाह पी.डब्ल्यू. 15 लुणाराम जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी नहीं था, के द्वारा एक लोहे का पाना जरिये फर्द प्रदर्श पी 17 के बरामद किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में मुलजिम से सरिये की बरामदगी नहीं की जाकर किसी लोहे के पाने की बरामदगी की गई है। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि सरिया उसने नहीं देखा था। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि वह बोलचाल के आधार पर यह कहा रहा है कि मोतीचंद ने हेमराज के सिर पर वार किया।

गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि बोलचाल होने के वक्त उन्होंने कोई मुकदमा नहीं किया था। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 2 ठाकराराम की साक्ष्य की संपुष्टि पीडब्ल्यू 1 हरखाराम की साक्ष्य से होती है तथा जहां तक वारदात में प्रयुक्त आला–ए–जर्ब लोहे के पाने की बरामदगी का संबंध है तो उक्त बरामदगी में पीडब्ल्यू 2 मौतबीर गवाह नहीं है तथा इस गवाह के सामने बरामदगी नहीं की गई थी।

12. अब इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष के अन्य साक्षी **पीडब्ल्यू 3 प्रतापसिंह** ने स्वयं की साक्ष्य में स्वयं के मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके पार्सल का काम बाड़मेर केन्द्रीय बस स्टेशन के अंदर है। उसकी दुकान है, जिसमें वह खुद काम करता है। गवाह ने यह भी कथन किया कि दुकान वह सुबह 07.00 बजे खोलता है और रात के 10.30–11.00 बजे तक काम करता है। उसकी दुकान के पास हरखाराम की दुकान आयी हुई है, जिस पर हेमराज काम करता है। गवाह ने यह भी कथन किया कि दिनांक 10.06.2018 को रात के 11.30 बजे मोतीचंद की हेमराज के साथ बहस–बाजी हो रही थी। वह उस समय पास में नहीं गया था। आस–पास की ओर दुकानें खुली थी। फिर वह सो गया था। सुबह पुलिस आयी, तब वह वहां पर गया था। वहां पर टेबल पर खून था। हेमराज के चोटें आई थी। गवाह ने यह भी कथन किया कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे देखे, तब यह बात ध्यान में आई कि एक व्यक्ति जिसने सफेद रंग की बनियान पहनी हुई थी, जिसके हाथ में लोहे का सरियानुमा एवं पाईपनुमा हथियार था। वह दुकान के आगे रखी बैंच पर सोये हेमराज के सिर व शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर रहा था। उस आदमी की पहचान उसने, देवेन्द्रकुमार व ठाकराराम ने मोतीचंद पुत्र बाबूलाल देशान्तरी, निवासी छीतर का पार वाले के रूप में की थी। मोतीचंद ने हेमराज पर जानलेवा हमला कर हेमराज के सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाई थी। गवाह ने यह भी कथन किया कि मोतीचंद को वह जानता है, जो टैक्सी चलाता है।

बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि जब बहसबाजी हो रही थी, तब वह उसकी दुकान में होने के कारण क्या बहस हो रही थी, उसने नहीं सुनी। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा दिनांक 10.06.2018 को रात्रि करीब 11–11:30 बजे के बीच

मुलजिम मोतीचंद और मजरूब हेमराज के बीच क्या बहस हुई, इस संदर्भ में इस गवाह को जानकारी नहीं है। गवाह ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को सही होना कहा है कि हेमराज के सिर पर मोतीचंद द्वारा सरिये से वार किया, वह उसने मारते हुए नहीं देखा था। गवाह ने यह भी कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि किस बात पर आपस में झगड़ा हुआ था। इस प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू. 3 प्रतापसिंह की दुकान पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम की दुकान के पास आयी हुई है, यह गवाह दिनांक 10.06.2018 को 11:30 बजे मुलजिम मोतीचंद का मजरूब हेमराज के साथ बहसबाजी होना तो कथन करता है, परंतु क्या बहसबाजी हुई, इस संदर्भ में गवाह के द्वारा कथन नहीं किया गया है तथा यही गवाह के द्वारा भी सीसीटीवी कैमरे को देखने पर इस बात की जानकारी होना कि सीसीटीवी कैमरे में जो व्यक्ति मजरूब हेमराज के साथ मारपीट कर रहा था, वह मुलजिम मोतीचंद था, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष के द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। गवाह पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम के द्वारा कोई सीसीटीवी की पेनड्राइव अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 17 सुरेन्द्र कुमार को दी गई हो, इस संदर्भ में पत्रावली पर प्रदर्श पी 40 नोटिस अंतर्गत धारा 91 सीआरपीसी वास्ते पेश करने दस्तावेज जो कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 17 सुरेन्द्र कुमार के द्वारा पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम को दिए जाने बाबत गवाह पी.डब्ल्यू. 17 सुरेन्द्र कुमार प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा जो साक्ष्य में कथन किए गए हैं, उक्त नोटिस दिनांक 12.06.2018 के बिन्दु संख्या 3 में यह अंकित किया गया है कि ''आपकी दुकान में लगे कैमरों की घटना के समय की सीडी, पेनड्राइव, वीडियो फुटेज बनाकर पेश करें।'' परंतु इस संदर्भ में उक्त सीडी, पेनड्राइव व वीडियो फुटेज पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम के द्वारा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 17 सुरेन्द्र कुमार को दी गई हो, इस संदर्भ में कोई भी फर्द प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी के द्वारा मुर्तिब नहीं की गई है कि उक्त सीडी, पेनड्राइव व वीडियो फुटेज पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम के द्वारा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 17 सुरेन्द्र कुमार को दी गई हो तथा इस संदर्भ में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 स्वयं हरखाराम ने इस न्यायालय के समक्ष हुई साक्ष्य मं यह कथन किया है कि उसकी दुकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने लिए थे, परंतु उक्त गवाह के द्वारा प्रदर्श पी 40 पर स्वयं के ए से बी हस्ताक्षरों को साबित नहीं किया है तथा न ही प्रदर्श पी 40 नोटिस पी.डब्ल्यू.

1 हरखाराम को पी.डब्ल्यू. 17 प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी सुरेन्द्र कुमार द्वारा दिया गया हो, इस संदर्भ में स्वयं की साक्ष्य में कोई साक्ष्य नहीं दी गई है, जिससे भी उक्त सीसीटीवी की फुटेज की पेनड्राइव एवं प्रदर्श पी 3 लगायत प्रदर्श पी 12 फोटोग्राफ्स की सत्यता संदिग्धता की परिधि में आती है तथा धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अक्षरशः पालना नहीं होने के कारण इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में पूर्व में उक्त पेनड्राइव तथा प्रदर्श पी 3 लगायत प्रदर्श पी 12 को साक्ष्य में ग्राह्य भी नहीं किया गया है तथा इस संदर्भ में संदिग्धता का एक ओर कारण यह भी रहा कि घटना की अर्द्धरात्रि की सीसीटीवी फुटेज प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम द्वारा दी जाती तो उसके साथ घटना से पूर्व दिनांक 10.06.2018 को रात्रि 11 बजे जो अभियोजन पक्ष के साक्षीगण मुलजिम मोतीचंद एवं मजरूब हेमराज के साथ जो बोलचाल होने की घटना का कथन करते हैं, उस संदर्भ में भी सीसीटीवी फुटेज प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को पी. डब्ल्यू. 1 हरखाराम के द्वारा अवश्य रूप से दी जाती। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचित कारणों से भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य की उक्त श्रृंखलाबद्ध कड़ी का इस प्रकरण में अभाव है जो कि प्रकरण में संदिग्धता उत्पन्न करता है।

13. अब इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष का एक अन्य महत्वपूर्ण साक्षी **पीडब्ल्यू 4 देवेन्द्र कुमार** ने स्वयं की साक्ष्य में स्वयं के मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि हरखाराम की एक दुकान केन्द्रीय बस स्टैण्ड बाड़मेर में आई हुई है। उस दुकान पर वह व हेमराज पुत्र बाबुराम, निवासी खड़ीन वाला सहयोग के लिए काम करता है। हेमराज दुकान का काम करके दुकान के बाहर ही सोता है। गवाह ने यह कथन किया कि वे दुकान लगभग रात के साढ़े ग्यारह बजे बंद करते है। दिनांक 10.06.2018 को रात के 11.00 बजे वह, हरखाराम व हेमराज दुकान पर बैठे थे, तब मोतीचंद देशान्तरी अपनी टैक्सी लेकर उनकी दुकान पर आया और हेमराज से उधार सामान मांगा, तब हेमराज ने मोतीचंद को उधार सामान देने से मना कर दिया तो मोतीचंद ने हेमराज को धमकी दी कि वह उसे देख लेगा। उस समय उसने व हरखाराम ने मोतीचंद को समझाकर वहां से भेजा। बाद में दुकान बंद कर वे घर चले गए और हेमराज दुकान के बाहर बैंच पर सो गया। गवाह ने यह भी कथन किया कि सुबह सूचना मिली कि रात में हेमराज को जान से मारने की नीयत

से हेमराज के सिर पर हथियार से वार किए गए, जिससे हेमराज के सिर पर गंभीर चोट आई। हेमराज को राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में भर्ती करवाया गया। वह राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर गया, तब डॉक्टर ने कहा कि हेमराज के सिर में फ्रैक्चर है तथा सिर पर जानलेवा चोट लगी है और हेमराज को जोधपुर रेफर किया। पुलिस मौके पर आई। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, फिर उन्होंने दुकान के आगे लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे, तब मालूम चला कि दिनांक 10.06.2018 को रात के 12.00 बजे के लगभग सफेद रंग की बनियान पहने हुए एक व्यक्ति जिसके हाथ में लोहे का सरिया एवं पाईपनुमा हथियार था, वह बैंच पर सोये हेमराज के सिर व शरीर पर ताबड़तोड वार कर रहा था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिख रहे आदमी को उसने तथा पड़ोसी दुकानदार ठाकराराम, प्रतापसिंह ने मोतीलाल पुत्र बाबूलाल जाति दिशान्तरी के रूप में पहचान की। मोतीचंद ने हेमराज पर जानलेवा हमला कर हेमराज के सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाई। पुलिस द्वारा नक्शा मौका हालात मौका मौके पर बनाया गया था जो प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। सपत्ति की तलाशी व जब्ती फर्द प्रदर्श पी 13 है, जिसमें मौके पर हेमराज के खून को प्लास्टिक की डिब्बी में लेकर जब्त किया था तथा संपत्ति व तलाशी की फर्द प्रदर्श पी 14 में मौके से बैडशीट उसके रूबरू बरामद की थी। प्रदर्श पी 13 व 14 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। उनकी दुकान के आगे लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज प्रदर्श पी 3 से 12 है।

बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि उसने स्वयं की आंखों से हेमराज के उपर मोतीचंद द्वारा वार करते हुए नहीं देखा। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसने तो सीसीटीवी कैमरे में ही देखा, उसे किसी ने घटना के बारे में नहीं बताया। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसने कोई हथियार नहीं देखा, फिर कहा कि सीसीटीवी कैमरे में उसने हथियार देखा था। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि दुकान पर कई लोग आते रहते हैं, उन्हें वह नहीं पहचानता। गवाह ने महत्वपूर्ण रूप से बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में यह कथन किया है कि मोतीचंद व हेमराज की बोलचाल हुई, उस समय हरखाराम, हेमराज व मोतीचंद ही थे, वह वहां पर नहीं था। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से यह जाहिर होता है कि दिनांक 10.06.2018

को रात्रि करीब 11 बजे जब मुलजिम मोतीचंद की हेमराज के साथ बोलचाल हुई, तब यह गवाह वहां पर मौजूद नहीं था। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षण में दी गई उक्त संदर्भ की साक्ष्य भी संदिग्धता की परिधि में आती है तथा जिस सीसीटीवी कैमरे में देखकर गवाह के द्वारा मुलजिम मोतीचंद की पहचान करने के संबंध में साक्ष्य दी गई है, उस संदर्भ में उक्त सीसीटीवी फुटेज की पेनड्राइव गवाह पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम के द्वारा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को कब दी गई, इस संदर्भ में कोई फर्द पत्रावली पर नहीं है तथा न ही उक्त पेनड्राइव तथा प्रदर्श पी 3 लगायत प्रदर्श पी 12 फोटोग्राफ्स के संदर्भ में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पर्याप्त शर्तों की अक्षरशः पालना नहीं होने से साक्ष्य में भी ग्राह्य नहीं माना गया है।

14. अब इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष का एक अन्य महत्वपूर्ण साक्षी **पीडब्ल्यू 9 हेमराज** जो कि प्रकरण का मजरूब है, ने स्वयं की साक्ष्य में स्वयं के मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 11.06.2018 की बात है। वह न्यू बस स्टैण्ड बाड़मेर में बेंच पर सोया हुआ था। दिन को उससे मोतीचंद दुकान से उधार सामान मांगने आया था जो दुकान हरखाराम धायल की थी जो किराणा की दुकान थी। गवाह ने कथन किया कि दिन को मोतीचंद ने उसे कहा था कि वह उसको देख लेगा। फिर रात को करीबन 12.05–12.10 बजे उसके साथ राड से मोतीचंद ने मारपीट की। उसके सिर पर व उसके शरीर पर मारपीट की। उसके बाद वह हॉस्पीटल में पहुंच गया। मोतीचंद उसे मारने की पूरी तैयारी करके आया था। उसको मरा हुआ समझ कर मोतीचंद वहां से चला गया। वह हॉस्पीटल में भर्ती रहा और उसका ईलाज चला। उसका अभी भी ईलाज चल रहा है।

बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि पुलिस में उसके बयान नहीं हुए और मम्मी के बयान हुए थे। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसने बस स्टैण्ड वाली दुकान पर घटना के दो महीने पहले तक काम किया था। गवाह ने यह कथन किया कि उसके साथ इस दुकान पर हेमराज, देवाराम और हरखाराम काम करते थे। गवाह ने यह भी कथन किया है कि घटना के वक्त दो दुकाने थीं जो दोनों दुकानें हरखाराम की थीं तथा वह दुकान पर किराणे का सामान देता था व चाय बनाकर बेचता था। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि जिस

वक्त घटना हुई, उस वक्त वह नींद में सोया हुआ था। गवाह ने जिरह में यह कथन किया है कि वह हॉस्पीटल से आया, तब उसके मम्मी पापा साथ थे और उन्होंने बताया कि मोतीचंद ने उसके साथ मारपीट की है। इस प्रकार प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण गवाह स्वयं मजरूब पी.डब्ल्यू. 9 हेमराज के साथ जब उक्त घटना कारित हुई, तब वह नींद में सोया हुआ था तथा जब वह अस्पताल से वापस आया, तब उसके मम्मी–पापा ने उसको यह बताया था कि मुलजिम मोतीचंद ने उसके साथ मारपीट की है। इस प्रकार मजरूब हेमराज के साथ किसने मारपीट की, इस संदर्भ में गवाह के द्वारा स्वयं के मम्मी–पापा द्वारा उसको बताया जाना साक्ष्य में कथन किया है। गवाह की साक्ष्य से यह तथ्य जाहिर होता है कि दिनांक 11.06.2018 को दिन में मुलजिम मोतीचंद इस दुकान से उधार सामान मांगने आया था तथा दिन में ही मोतीचंद ने उसको कहा था वह उसको देख लेगा, जबकि अन्य गवाहान की साक्ष्य में यह तथ्य आया है कि दिनांक 10.06.2018 को रात्रि करीब 11 बजे मुलजिम मोतीचंद हरखाराम की दुकान पर आया था तथा उसने मजरूब हेमराज के साथ बोलचाल की थी। इस प्रकार दिनांक 10.06.2018 को मोतीचंद कब व कितने बजे हरखाराम की दुकान पर आया और मजरूब हेमराज से बोलचाल की, इस संदर्भ में पी.डब्ल्यू. 9 हेमराज एवं अभियोजन के अन्य साक्षीगण की साक्ष्य में विरोधाभास होना प्रकट होता है।

15. अब इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष की एक अन्य महत्वपूर्ण साक्षी **पीडब्ल्यू 10 श्रीमती टुगी देवी** जो कि मजरूब हेमराज की माता है, ने स्वयं की साक्ष्य में स्वयं के मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह गृहिणी है और अपने गांव खड़ीन में रहती है। हरखाराम जाट की दुकान केंद्रीय बस स्टैंड, बाड़मेर में आई हुई है, जिस पर उसका पुत्र हेमराज छोटा–मोटा काम करता था। गवाह ने कथन किया कि हेमराज जिस दुकान पर काम करता था, वहां मोतीचंद सामान उधार मांगने आया। हरखाराम ने हेमराज को कह रखा था कि किसी को सामान उधार मत देना, तब उसके पुत्र हेमराज ने मोतीचंद को उधार सामान दिया नहीं। इसी वजह से धारदार हथियार व सरिये से उसके पुत्र हेमराज पर, जो हरखाराम की दुकान के आगे केंद्रीय बस स्टैण्ड में रात्रि को 12:30 बजे हमला कर उसके साथ 12–13 लगिये उसके सिर व हाथों पर मारे, जिससे वह बेखाके हो गया और उस पर जानलेवा हमला किया था।

हेमराज को जोधपुर बड़े हॉस्पीटल गोयल में लेकर गए थे। घटना के दूसरे दिन सुबह उसके पति को पुलिस वालों ने फोन किया और उसके पति ने उसे फोन कर कहा कि हेमराज को जोधपुर लेकर गए हैं, तब वह व हरखाराम जोधपुर गए। फिर पीछे उसके पति पांच बजे जोधपुर पहुंच गए जो उसका पुत्र हेमराज गोयल हॉस्पीटल दो माह तक भर्ती रहा व बोल–फिर नहीं सकता था और केवल इशारों से समझाता था। उसकी प्रति माह 25 हजार की दवाईयां आती है। एक आदमी को उसके पास देख–रेख के लिए रखना पड़ता है। गवाह ने कथन किया कि हाजिर अदालत मोतीचंद को वह पहचानती है, जिसने उसके पुत्र के साथ ताबड़तोड़ हमला कर जान लेने की पूरी कोशिश की। उसके पति रोडवेज की बस चलाते हैं। पुलिस जोधपुर उसके पुत्र हेमराज, जहां हॉस्पीटल में भर्ती था, वहां आई थी। उस समय उसका पुत्र इशारे से समझता था, बोल नहीं सकता था, जो प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–22 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसका अंगूठा करवाया था।

बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि उसके बयान बच्चा जब भर्ती था, तभी जोधपुर में हुए थे तथा उसके बाद उसके कोई बयान नहीं हुए। गवाह ने यह भी कथन किया है कि जिस समय बयान हुए थे, उस समय उसके अंगूठे के निशान करवाए थे, किस बात के करवाए और उसमें क्या लिखा था, उसे पता नहीं, फिर गवाह ने स्वयं कथन किया कि उसका बच्चा बेहोश था, इसलिए उसको छारणी नहीं थी। गवाह ने यह भी कथन किया कि जिस समय घटना हुई थी, उस समय वह गांव थी। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि इस घटना के बारे में उसके पति ने घटना के दूसरे दिन फोन करके बताया था और उसके पति ने यह भी बताया था कि उसके बेटे के साथ मारपीट का पुलिस ने उसे कॉल करके बताया था। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि मारपीट के समय वह पास में नहीं थी, न ही सामान उधार मांगने के वक्त वह पास में थी। गवाह ने यह कथन किया है कि वह सुनी–सुनायी व पुलिस वालों की कही हुई बात बता रही है। गवाह ने यह कथन किया है कि कैमरे में मोतीचंद का फोटो व उसके पति को मोतीचंद द्वारा पूर्व में दी गई धमकी के आधार पर वह कह रही है कि मोतीचंद ने उसके पुत्र को मारा था। इस प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू. 10 टुगी देवी जो कि मजरूब हेमराज की माता है, ने स्वयं की साक्ष्य में पुलिस द्वारा उसे बताना, कैमरे में मोतीचंद का फोटो होना

तथा उसके पति को मोतीचंद द्वारा दी गई धमकी के आधार पर मुलजिम मोतीचंद द्वारा उसके पुत्र को मारने बाबत कथन किए हैं, परंतु संपूर्ण पत्रावली में यह साक्ष्य नहीं आयी है कि मुलजिम मोतीचंद ने मजरूब हेमराज के पिता बाबुलाल को कभी कोई धमकी दी हो तथा पी.डब्ल्यू. 9 हेमराज ने स्वयं की साक्ष्य में उसके अस्पताल से आने के बाद उसके माता–पिता के द्वारा बताए जाने पर यह जानकारी होना कि मोतीचंद ने उसके साथ मारपीट की थी, बाबत साक्ष्य पत्रावली पर आयी है, परंतु पत्रावली पर आयी साक्ष्य से यह कहीं जाहिर नहीं होता है कि वह पी.डब्ल्यू. 10 टुगी देवी के द्वारा किसी कैमरे में आए फोटो को देखा गया हो।

16. अब इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष की एक अन्य महत्वपूर्ण साक्षी **पीडब्ल्यू 11 बाबुलाल** जो कि मजरूब हेमराज का पिता है, ने स्वयं की साक्ष्य में स्वयं के मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह रोडवेज आगार की अनुबंधित बस का ड्राईवर था। वह शिवगंज–बाड़मेर की बस चलाता था। साक्ष्य दिवस से सात साल पहले सन् 2018 की बात है। हरखाराम जाट की दुकान, जो केंद्रीय बस स्टैंड, बाडमेर में आयी हुई है, जिस पर उसका पुत्र हेमराज छोटा–मोटा काम करता था। हेमराज जिस दुकान पर काम करता था, वहां पर मोतीचंद ने हेमराज से उधार सामान मांगा, तब हेमराज ने मोतीचंद को उधार सामान नहीं दिया। तब मोतीचंद ने हेमराज को धमकी दी कि वह उसको देख लेगा। दिनांक 11.06.2018 को रात्रि के समय हेमराज दुकान बंद करके दुकान के आगे बेंच पर सो गया था। रात्रि के लगभग 12 बजे मोतीचंद हाथ में लोहे का सरिया लेकर आया और उसके पुत्र हेमराज के सिर पर ताबड़तोड़ मारपीट की, जिससे उसका पुत्र घायल हो गया और कोमा में चला गया। उसको दूसरे दिन सुबह पांच बजे हॉस्पीटल वालों ने फोन किया कि उसका लड़का गंभीर घायल है, इसको ईलाज के लिए जोधपुर लेकर जाओ। फिर उसने अपनी पत्नी दुगीदेवी को फोन किया कि बाड़मेर जाओ और हरखाराम के साथ हेमराज को जोधपुर ईलाज के लिए लेकर जाओ। फिर शाम को पांच बजे वह गोयल हॉस्पीटल जोधपुर पहुंचा, जहां उसका पुत्र हेमराज कोमा में गया हुआ था। फिर वह केंद्रीय बस स्टैण्ड पर जहां हरखाराम की दुकान है, वहां देवाराम के साथ घटना के वक्त के सीसीटीवी फुटेज देखे थे, तब मोतीचंद सफेद बनियान पहनी हुई और उसके

हाथ में लोहे की रॉड थी, जिससे वह उसके पुत्र हेमराज पर हमला कर रहा था। फिर वह वापस जोधपुर पहुंचा। गवाह ने कथन किया कि उसका पुत्र अभी भी मानसिक रूप से बीमार है तथा सही रूप से बोल भी नहीं सकता और न चल सकता है। उसका मासिक खर्चा 20–25 हजार रुपए है। वह लगभग दो माह गोयल हॉस्पीटल में भर्ती रहा, तब तक कोमा में ही रहा था, उसकी सिर में हड्डी भी नहीं है।

बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि उसके पुलिस बयान जोधपुर में ही लिए गए थे, फिर गवाह ने कथन किया कि सीसीटीवी देखने बाड़मेर आया था, तब उसके बयान हुए थे। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि जिस समय घटना घटित हुई थी, उस समय वह शिवगंज था। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि घटना के बारे में उसे जानकारी हॉस्पीटल से फोन आने के बाद हुई थी। गवाह ने यह कथन किया है कि हॉस्पीटल से फोन किसने किया था, उसके बारे में उसे जानकारी नहीं है, फिर गवाह ने स्वयं कथन किया कि एक बार उसके पास सी.आई. साहब का भी फोन आया था, कौनसे सी.आई. साहब का फोन आया, उसे नहीं पता। गवाह ने यह कथन किया है कि उसने हरखाराम को फोन किया था, हरखाराम ने उसे फोन नहीं किया था। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि मोतीचंद द्वारा मारपीट करने वाली बात उसे पुलिस ने कैमरा देखकर बतायी थी। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के कैमरे की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग देखी गयी हो, यह उक्त गवाह की साक्ष्य से जाहिर नहीं होता है, जबकि गवाह ने यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि पुलिस ने कैमरे देखकर उसको यह बताया कि उनके पुत्र के साथ मोतीचंद के द्वारा मारपीट की गई है, जबकि निर्णय में पूर्व में किए गए विवेचन से सीसीटीवी फुटेज के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी 3 लगायत प्रदर्श पी 12, सीसीटीवी फुटेज की पेनड्राइव तथा धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी सुरेन्द्र कुमार को दिया गया हो, इस संदर्भ में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम के द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दी गई है तथा धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के अवलोकन एवं मनन से तथा इस निर्णय में किए गए पूर्व के विवेचन से प्रमाण पत्र 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्णित शर्तों की अक्षरशः अनुपालना नहीं किए जाने के कारण सीसीटीवी के फोटोग्राफ्स प्रदर्श

पी 3 लगायत प्रदर्श पी 12 को इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से उपर्युक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य का कड़ीबद्ध श्रृंखला का प्रस्तुत प्रकरण में अभाव है। जहां तक मुलजिम मोतीचंद के द्वारा मजरूब हेमराज के साथ मारपीट करने के हेतुक का संबंध है, उस परिप्रेक्ष्य में हालांकि अभियोजन पक्ष के गवाहान की साक्ष्य में कुछ विरोधाभास आया है, परंतु यह तथ्य तो परिलक्षित हुआ है कि मुलजिम मोतीचंद ने दिनांक 10.06.2018 को दिन के समय या रात्रि के 11 बजे के आस–पास मजरूब हेमराज के साथ बोलचाल की थी, परंतु जहां अभियोजन पक्ष के द्वारा संपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, वहां निस्संदेह अपराध का हेतुक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, परंतु साथ ही इस न्यायालय को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई समस्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी हो, का ध्यानपूर्वक अवलोकन, मनन एवं परिशीलन करना अत्यंत आवश्यक होता है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई अब तक की साक्ष्य के अवलोकन एवं मनन से गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास प्रकट हुए हैं, कुछ गवाह स्वयं की साक्ष्य में यह कथन कर रहे हैं कि सीसीटीवी की फुटेज के फोटोग्राफ्स में व्यक्ति का चेहरा साफ दिखायी नहीं दे रहा है, उक्त सीसीटीवी की फुटेज एवं पेनड्राइव पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम के द्वारा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी सुरेन्द्र कुमार को दी गई तथा उक्त पेनड्राइव की फर्द पुलिस के द्वारा क्यों नहीं मुर्तिब की गई, इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, साथ ही पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम को प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी के द्वारा प्रदर्श पी 40 नोटिस दिनांक 12.06.2018 को उसकी दुकान में लगे घटना के समय की सीडी, पेनड्राइव व वीडियो फुटेज बनाकर पेश करने के संबंध में दिया गया है, उस संदर्भ में पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम स्वयं की साक्ष्य में कोई कथन नहीं करता है कि उसे इस प्रकार का नोटिस प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 17 सुरेन्द्र कुमार के द्वारा दिया गया था या नहीं तथा साथ ही प्रस्तुत प्रकरण में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम के द्वारा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को दिया गया हो, इस संदर्भ में भी गवाह पी.डब्ल्यू. 1 हरखाराम ने स्वयं की साक्ष्य में कोई कथन नहीं किया है। इस प्रकार धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी मात्र अनुसंधान अधिकारी

की साक्ष्य से ही साबित हुआ नहीं माना जा सकता है तथा इस नोटिस के द्वारा निर्णय में अब तक के किए गए विवेचन एवं मनन से तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर व अन्य (सुप्रा) के मार्गदर्शक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में प्रदर्श पी 41 धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्णित शर्तों की अक्षरशः पालना नहीं होने के कारण पेनड्राइव एवं सीसीटीवी फुटेज की फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी 3 लगायत प्रदर्श पी 12 को भी इस न्यायालय के द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य होना नहीं पाया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई अब तक की उपर्युक्त साक्ष्यों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ीबद्ध श्रृंखला का अभाव होने से अभियोजन का मामला संदिग्धता की परिधि में आ जाता है।

<u>**प्रकरण के बरामदगी के साक्षी एवं चिकित्सकीय साक्षी**</u> **:–**

17. अब न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मुलजिम से जिस लोहे के पाने की बरामदगी करना अभियोजन पक्ष कथन करता है, उस पाने के संदर्भ में धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला किस अधिकारी को दी गई तथा किस अधिकारी के द्वारा उक्त धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसरण में तथाकथित पाने की बरामदगी की गई एवं क्या उक्त पाने से अभियोजन की ओर से की गई चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार मजरूब हेमराज को उक्त चोटें आ सकती थी या नहीं?

इस संदर्भ में बरामदगी के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी **पी.डब्ल्यू. 17 सुरेन्द्र कुमार** ने स्वयं की साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दौराने अनुसंधान उसके द्वारा दिनांक 12.06.2018 को प्रार्थी हरखाराम की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल फर्द बनाई थी, जो प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी परिवादी हरखाराम, सी से डी व ई से एफ मौतबीरान के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। उसी रोज उसके द्वारा घटनास्थल से खून आलुंदा बेडशीट कब्जा पुलिस लेकर फर्द बनाई थी जो प्रदर्श पी 14 है, जिस पर ए से बी हरखाराम के, सी से डी व ई से एफ मौतबीरान के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं, एक्स स्थान पर नमूना सील है। उसी रोज उसके द्वारा घटनास्थल से फर्श पर पड़े हुए खून को एक प्लास्टिक की डिब्बी में डालकर सीलचेपा कर मार्क बी अंकित कर

कब्जा पुलिस लेकर फर्द बनाई थी जो प्रदर्श पी 13 है, जिस पर ए से बी हरखाराम के, सी से डी व ई से एफ मौतबीरान के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर नमूना सील है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने स्वयं की साक्ष्य में यह कथन किया है कि दौराने अनुसंधान जैर हिरासत मुलजिम मोतीचंद ने इत्तला दी कि उसने हेमराज के साथ जिस पाने से मारपीट की थी, वह उसने जैसलमेर जाते समय भाड़खा के आगे पुलिया के नीचे छुपाया है जो वह साथ चलकर बरामद करवा सकता है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि फर्द इत्तला मुलजिम के कहे अनुसार शब्द–ब–शब्द लिखी गई। गवाह ने उक्त फर्द प्रदर्श पी 38 पर ए से बी मुलजिम मोतीचंद के तथा सी से डी उसके स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन किया है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि दौराने अनुसंधान जैर हिरासत मुलजिम मोतीचंद ने इत्तला दी कि उसने हेमराज के साथ जिस समय मारपीट की, उस समय उसने जो सफेद बनियान व जींस मारपीट करते समय पहन रखी थी जो खून से हो गई थी जो उसने भाड़खा में पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में छुपा दी है, जो वह साथ चलकर बरामद करवा सकता है। गवाह ने उक्त इत्तला प्रदर्श पी 39 पर ए से बी मुलजिम मोतीचंद के तथा सी से डी स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन किया है, परंतु प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी के द्वारा उक्त दोनों इत्तला प्रदर्श पी 38 एवं प्रदर्श पी 39 के अनुसरण में किसी प्रकार की कोई बरामदगी मुलजिम से नहीं की गई है। बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि उसके द्वारा प्रकरण में आला–ए–जरब लोहे का पाना की बरामदगी नहीं की गई और न ही उसके द्वारा मुलजिम के पारचात लिए गए। गवाह ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को सही होना कहा है कि मोतीचंद द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत सूचना प्रदर्श पी 38 व 39 उसे दी गई, परंतु उक्त इत्तला के आधार पर बरामदगी उसके द्वारा नहीं की गई। गवाह ने इस सुझाव को भी सही होना कहा है कि प्रकरण का संपूर्ण अनुसंधान उसके द्वारा नहीं किया गया, फिर गवाह ने स्वयं कथन किया कि उसके द्वारा मुलजिम की फर्द इत्तला के अनुसार जब्ती की कार्यवाही नहीं की गई थी, बाकि संपूर्ण अनुसंधान उसके द्वारा किया गया था। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि जब्ती की कार्यवाही लूणाराम उप निरीक्षक (पी.डब्ल्यू. 15) के द्वारा करने बाबत कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है। गवाह

ने इस सुझाव को भी सही होना कहा है कि थानाधिकारी को प्रकरण में किसी तफ्तीश में अनुसंधान अधिकारी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, फिर गवाह ने स्वयं कथन किया कि उसे अनुसंधान दिनांक 14.06.2018 को अति आवश्यक कार्य से बाड़मेर से बाहर जाना था, जिस पर श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक के मौखिक आदेशानुसार प्रकरण हाजा का अग्रिम अनुसंधान उसके वापस आने तक मुलजिम पुलिस अभिरक्षा में होने के कारण उप निरीक्षक लूणाराम को सुपुर्द किया गया था। गवाह ने इस सुझाव को भी सही होना कहा है कि मुलजिम मोतीचंद द्वारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला लूणाराम को नहीं दी गई थी। इस प्रकार प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी के द्वारा जो साक्ष्य में कथन किया गया है, उसे मुलजिम मोतीचंद के द्वारा लोहे के पाने के संबंध में तथा पारचात के संबंध में जो धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी 38 व प्रदर्श पी 39 दी गई थी, उसके अनुसरण में इस गवाह के द्वारा किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं की गई है, जिसका इस गवाह के द्वारा उसका अनुसंधान दिनांक 14.06.2018 को अति आवश्यक कार्य से बाड़मेर से बाहर जाना होना तथा जिला पुलिस अधीक्षक के मौखिक आदेशानुसार प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान उसके वापस आने तक मुलजिम की अभिरक्षा में होने के कारण लूणाराम उप निरीक्षक को सुपुर्द किया जाना साक्ष्य में कथन किया है।

इस संदर्भ में गवाह **पी.डब्ल्यू. 15 लूणाराम** ने स्वयं की साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 12.06.2018 को वह पुलिस थाना कोतवाली में सबइंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित था। उस रोज मुकदमा नंबर 262/18 धारा 323, 324, 307 आईपीसी पीएस कोतवाली में अनुसंधान थानाधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा किया जा रहा था, उस रोज सुरेन्द्र कुमार थानाधिकारी को आईजी साहब ने अन्य पत्रावली में तलब करने पर उस रोज उक्त पत्रावली उसके अनुसंधान के लिए उसे सुपुर्द की। जैर हिरासत मुलजिम मोतीचंद का पीसी रिमाण्ड प्राप्त कर मुलजिम की इत्तलानुसार दिनांक 14.06.2018 को मुकदमा हाजा में आला–ए–जर्ब लोहे का पाना व वक्त घटना मुलजिम के पहने पारचात खून आलुंदा धारा 27 की इत्तलानुसार मुलजिम मोतीचंद से बरामद कर रूबरू मौतबीरान फर्द बनाई जो प्रदर्शपी 17 है, जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबीरान के, ई से एफ मुलजिम मोतीचंद के, जी से एच उसके एवं एक्स स्थान पर गोल मोहर अंकित है। उसी रोज

बरामदगी घटनास्थल का मौका देखकर मौका फर्द मुर्तिब की जो प्रदर्श पी 18 है, जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबीरान के ई से एफ मोतीचंद के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं।

बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को सही होना कहा है कि मोतीचंद द्वारा उसे कोई धारा 27 की इत्तला नहीं दी गई थी, फिर गवाह ने कथन किया कि पूर्व अनुसंधान अधिकारी को दी थी। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि पूर्व अनुसंधान अधिकारी दूसरे अनुसंधान में बाहर गए हो, ऐसा दस्तावेज पत्रावली में नहीं है। इस प्रकार प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 17 सुरेन्द्र कुमार के द्वारा पुलिस अधीक्षक के मौखिक आदेशानुसार प्रकरण का अनुसंधान पी.डब्ल्यू. 15 लूणाराम उप निरीक्षक को सुपुर्द किए जाने बाबत कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है, जिस संदर्भ में स्वयं प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि पुलिस अधीक्षक ने उनको मौखिक आदेश दिया था। गवाह पी.डब्ल्यू. 15 लूणाराम ने जिरह में यह भी कथन किया है कि प्रदर्श पी 17 व 18 के दोनों मौतबीर उसके अधीनस्थ कर्मचारी थे। इस प्रकार बरामदगी की फर्द प्रदर्श पी 17 तथा बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 18 में किसी भी स्वतंत्र मौतबीर को रखने के प्रयास नहीं किए गए हैं तथा उक्त दोनों फर्दों के गवाहान पुलिस कर्मचारी थे जो कि पी.डब्ल्यू. 5 दामोदर कुमार और पी.डब्ल्यू. 6 हरदान हैं। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि प्रदर्श पी 17 की बरामदगी बबूल की ढाणियों से खुले स्थान से की थी। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि उक्त फर्दों पर स्वतंत्र मौतबीर तलबी का प्रयास किया गया हो, ऐसा अंकन फर्दों पर नहीं है, फिर गवाह ने कथन किया कि प्रयास किया था, नहीं मिलने पर पुलिसकर्मियों को मौतबीर रखा। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि लोहे का पाना आसानी से किसी भी वाहन में मिल सकता है। गवाह ने इस सुझाव को भी सही होना कहा है कि उक्त पाने पर किसी तरह का विशेष पहचान चिह्न का अंकन नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में जब धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 17 सुरेन्द्र कुमार को दी गई थी, तब लिखित आदेश से गवाह पी.डब्ल्यू. 15 लूणाराम के द्वारा प्रदर्श पी 17 फर्द के माध्यम से लोहे के पाने व पारचात की बरामदगी की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेज अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत

नहीं किया गया है, जिससे भी प्रकरण में संदिग्धता उत्पन्न होती है।

अब इस संदर्भ में इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 18.04.2026 को पुलिस मालखाना से जो लोहे का पाना बरामद किया गया है, उसको मंगवाकर उक्त लोहे के पाने का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा साथ ही इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई चिकित्सकीय साक्ष्य का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। चिकित्सकीय साक्षी में पी.डब्ल्यू. 14 डॉ. रामजीवन बतौर मौखिक साक्षी न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 11.06.2018 को वह राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर कार्यरत था। उस रोज पुलिस की तहरीर पर मजरूब हेमराज पुत्र बाबुराम, उम्र 15 वर्ष के शरीर पर आई चोटों का उसके द्वारा चोट–प्रतिवेदन बनाया गया, जो प्रदर्श पी 24 है, जिस पर ए से बी मजरूब हेमराज के शरीर पर आई चोटों का विवरण, सी से डी एक्स–रे राय, ई से एफ चोटों की अवधि व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। चोट संख्या 1 मजरूब के सिर में दस जगह धारदार हथियार से घाव पाए गए, जिनकी साइज क्रमशः 4X1XTD से.मी., 8X2XTD से.मी., 6X2XTD से.मी., 5X2XTD से.मी., 9X3XTD से.मी., 9X3XTD से.मी., 6X3XTD से.मी., 7X3XTD से.मी., 7X3XTD से.मी. व 6X3XTD से.मी. जो मजरूब के घाव की गहराई टिश्यू डीप तक पायी गयी। जिस समय मजरूब का चोट प्रतिवेदन हेतु मेडिकल मुआयना किया जा रहा था, उस वक्त वह बेहोशी की हालत में था तथा मजरूब हेमराज को बेहोशी की हालत में होने के कारण आवश्यक इलाज हेतु उच्च केन्द्र पर रेफर किया गया था। मजरूब के बदन पर आई चोटों का एक्स–रे करवाने की राय दी गई तथा उक्त सभी चोटें लाल कलर व छः घंटे के भीतर की अवधि की पायी गयी थी। मजरूब हेमराज दिनांक 27.07.2018 को एक्स–रे करवाने के लिए राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर में उपस्थित हुआ, जिस पर बाद एक्स–रे उसके द्वारा एक्स–रे रिपोर्ट तैयार की गई, जो प्रदर्श पी–25 है, जिस पर मार्क–ए से बी मजरूब के जिस अंग का एक्स–रे करवाना है, उसका अंकन है, सी से डी एक्स–रे राय रिपोर्ट है, जिसमें मजरूब के सिर में 1. fracture depressed bilateral frontal and parietal bone 2. fracture nasal bone पाए गए, जो सभी चोटें गंभीर प्रकृति की एवं धारदार हथियार से कारित करना पायी गई, जो मजरूब के लिए प्राणघातक पायी गई तथा ई से एफ

उसके हस्ताक्षर हैं।

बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि पुलिस तहरीर में यह लिखा हुआ है कि सिर पर नुकीले धारदार हथियार से चोटें आयी हुई हैं। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि पुलिस तहरीर के आधार पर उसने चोट प्रतिवेदन तैयार किया था। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि प्रदर्श पी 24 में मजरूब के हस्ताक्षर नहीं है, फिर गवाह ने कथन किया कि मजरूब बेहोश था। गवाह ने इस सुझाव को गलत होना कहा है कि आई.आर. में यह अंकन नहीं है कि मजरूब बेहोश था। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि प्रदर्श पी 24 में मजरूब की पहचान किसी ने नहीं की। चोट प्रतिवेदन सुबह पांच बजे बनाया गया था। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि मजरूब एक्स–रे करवाने की सलाह देने के डेढ़ महीने बाद एक्स–रे करवाने आया था। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि एक्स–रे उसके द्वारा नहीं किया गया था। गवाह ने कथन किया है कि एक्स–रे किन अंगों का करवाना है, यह उसने मजरूब को उसी समय बता दिया था। एक्स–रे दिनांक 27.07.2018 को हुआ था। दिनांक 11.06. 2018 को एक्स–रे एडवाईज करने से दिनांक 27.07.2018 को एक्स–रे करने के बीच की अवधि में मजरूब का ईलाज कहां चला, उसे नहीं पता। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि उसके द्वारा जो राय दी गई थी, वो एक्स–रे के आधार पर दी गई थी। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि प्रदर्श पी 25 पर मजरूब के हस्ताक्षर नहीं है, न ही किसी के द्वारा मजरूब की पहचान की गई है। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि वह रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि प्रदर्श पी 25 में मजरूब चेतन अवस्था में था या नहीं, इसका उल्लेख नहीं है।

इस प्रकार गवाह ने स्वयं की साक्ष्य में मजरूब के चोटों का वर्णन जो अंकित किया गया है, उसमें मजरूब की चोट संख्या 1 मजरूब के सिर में 10 जगह धारदार हथियार की चोट आना पाया है, जिसके साइज क्रमशः 4X1XTD से.मी., 8X2XTD से.मी., 6X2XTD से.मी., 5X2XTD से.मी., 9X3XTD से.मी., 9X3XTD से. मी., 6X3XTD से.मी., 7X3XTD से.मी., 7X3XTD से.मी. व 6X3XTD से.मी. होने का कथन किया गया है तथा मजरूब के उक्त सभी चोटें धारदार हथियार से कारित करना पाया जाने

बाबत साक्ष्य दी है, परंतु लोहे के पाने का जब इस न्यायालय के द्वारा अवलोकन किया गया तो यह वह पाना है, जिससे किसी कार के टायर (स्टेपनी) को खोला जाता है तथा जिसका मुंह आगे से षटकोण के रूप में है तथा यदि किसी व्यक्ति के सिर में उस पाने के मुंह की तरफ से चोट मारी जावे तो सिर पर उक्त घाव 1 से.मी. या अधिकतम 2 से.मी. लंबाई ही धारदार रूप में आ सकती है, जबकि मजरूब के चोटों के वर्णन में जो चोटों की लंबाई दर्शित की गई है, उक्त चोटें उक्त पाने से कारित की गई हो, इसमें संदिग्धता उत्पन्न होती है।

18. अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहान **पी.डब्ल्यू. 5 दामोदर कुमार और पी.डब्ल्यू. 6 हरदान** फर्द गिरफ्तारी मुलजिम प्रदर्श पी 15, फर्द जब्ती घटना में प्रयुक्त टैक्सी प्रदर्श पी 16, फर्द जब्ती आला–ए–जर्ब लोहे का पाना व कपड़े प्रदर्श पी 17 व फर्द नक्शा नजरी बरामदगीस्थल प्रदर्श पी 18 के मौतबीर गवाहान हैं। अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी.डब्ल्यू. 7 श्यामलाल** चार सीलबंद पैकेट एफ.एस.एल. में जमा करवाने का गवाह है। अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी.डब्ल्यू. 8 स्वरूपसिंह** ने कॉनिस्टेबल श्यामलाल के द्वारा उसके समक्ष चार सीलबंद पैकेट मय कागजात पेश करने पर उसके द्वारा एफ.एस.एल. जोधपुर के नाम अग्रेषण पत्र तैयार किए जाने के संबंध में औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी.डब्ल्यू. 12 दिलीप कुमार चौधरी** जो कि चिकित्सकीय साक्षी है, ने स्वयं की साक्ष्य में दिनांक 27.07.2018 को राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर में चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थापित होते हुए प्रकरण में मजरूब हेमराज के बयान देने की स्थिति में होने या नहीं होने बाबत राय हेतु दस्ती प्रदर्श पी 23 दिए जाने के संबंध में साक्ष्य दी है। अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी. डब्ल्यू. 16 राजेन्द्र कुमार** जिसके पास एचएम मालखाने का चार्ज भी था, ने अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 18 व 19, रोड सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 20 तथा एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 21 के संबंध में साक्ष्य दी है।

19. अभियोजन पक्ष की ओर से एक अन्य गवाह **पी.डब्ल्यू. 13 ताजाराम** ने स्वयं की साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 10.06.2018 को रात्रि में उसकी ड्यूटी वृद्धिचंद जैन बाड़मेर बस स्टैण्ड पर

लगी हुई थी। रात्रि के समय में लगभग 11 बजे के आस–पास बस स्टैण्ड में सभी दुकानें बंद करके चले जाते हैं। उसी रोज रात्रि को हेमराज के साथ मोतीचंद देशान्तरी ने मारपीट की थी। वह ड्यूटी पर था। बस स्टैण्ड परिसर का एरिया बड़ा होने के कारण चारों तरफ गस्त करनी पड़ती है। इस कारण वह गस्त पर था तथा बस स्टैण्ड के अंदर अंधेरा होने के कारण घटना गुपचुप तरीके से हुई थी तथा दुकान के मालिक व पुलिस को भी पता चल गया था। फिर हेमराज को घायल अवस्था में इलाज के लिए ले गए थे। उसने सवेरे सीसीटीवी कैमरे जो दुकान के आगे लगे थे, उसमें मोतीचंद द्वारा हेमराज के साथ मारपीट करते हुए का सीन देखा था।

बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि हेमराज के साथ मारपीट होते हुए नहीं देखा। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि उसे घटना की जानकारी पुलिस आने के बाद हुई। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि पुलिस 11.06.2018 को सवेरे आई। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि उसे पुलिस वालों ने ही मोतीचंद का नाम बताया था, फिर गवाह ने कथन किया कि उसने उसे कभी–कभी टेम्पों में देखा था।

इस प्रकार उक्त गवाह ने मजरूब हेमराज के साथ मारपीट होते हुए नहीं देखे जाने तथा घटना की जानकारी पुलिस आने के बाद होने के सुझाव को स्वीकार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन कहानी को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

20. उक्त संपूर्ण साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा इस आपराधिक मामले में अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 10.06.2018 की मध्य रात्रि में स्थान वृद्धिचंद जैन केन्द्रीय बस स्टेशन बाड़मेर के अंदर दुकान नंबर चार के बाहर आहत हेमराज के साथ कुंद हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित करने तथा आहत हेमराज के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व गंभीर उपहतियां कारित करने तथा आहत हेमराज को जान से मारने की नियत से उसके शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाने, यदि उक्त चोटों से उसकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त हत्या का दोषी होता, इस प्रकार अभियुक्त ने आहत हेमराज की हत्या करने का प्रयत्न करने का धारा 323, 324, 326 व 307 भारतीय दण्ड

संहिता के संबंध में सुदृढ़ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। आपराधिक विचारण में अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा निहित होती है तथा अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित करवाए जाने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है, परन्तु प्रस्तुत साक्ष्य से उपरोक्त समेकित विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323, 324, 326 व 307 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित करा पाने में पूर्णतः असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत पाया जाता है।

—:: आ दे श ::—

21. परिणामस्वरूप अभियुक्त मोतीचन्द पुत्र बाबुलाल, निवासी छीतर का पार, पुलिस थाना नागाणा, बाड़मेर को धारा 323, 324, 326 व 307 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

22. धारा 437ए द.प.सं. के तहत अभियुक्त को इस निर्णय के विरुद्ध अपील पेश होने पर अपील न्यायालय में उपस्थित होने बाबत प्रत्येक को 25,000/— रुपए का स्वयं का बंधपत्र व 25,000/— रुपए की एक जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक कराने का आदेश दिया गया था, जिसके तहत जमानत मुचलके तस्दीक किए जा चुके हैं।

23. प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए_चूंकि मजरूब हेमराज के मारपीट की गई है तथा कई दिनों तक मजरूब हेमराज अस्पताल में भर्ती रहा है, परंतु अभियोजन पक्ष के द्वारा यह संदेह से परे साबित नहीं किया गया है कि अभियुक्त मोतीचंद के द्वारा ही उक्त चोटें कारित की गई हो, परंतु किसी व्यक्ति के द्वारा तो मजरूब हेमराज के उक्त चोटें कारित की गई है। इस प्रकार यह न्यायालय इस प्रकरण में पीड़ित पक्ष को धारा 357क द.प्र.स. एवं पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 के तहत मजरूब हेमराज को अधिकतम प्रतिकर राशि प्रदान करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंषा की जाती है, जिसके संदर्भ में निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जावें।

24. अभियुक्त इस प्रकरण में जमानत पर है। अतः उसके नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

25. इस निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर को प्रेषित की जावें।

(अजिताभ आचार्य)
सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर (राज.)

26. निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अजिताभ आचार्य)
सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर (राज.)

VINITA DHANWANI

Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by VINITA DHANWANI
Date: 2026.04.22 13:56:34 +0530